

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

NINTH
ANNUAL REPORT
1980-81



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700 068

DECEMBER, 1981

RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

© RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700 068

ANNUAL REPORT
1980-81



Published by Dr. B. P. Barua, Member-Secretary, Raja Rammohun
Roy Library Foundation, 110, Jodhpur Park, Calcutta-700 068 and
printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golum, Mohammad Road,
Calcutta-700 026, Phone : 46-4541.

**RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
ANNUAL REPORT**

1980-81

CONTENTS


	Pages
I Introduction ...	1
II Book Assistance ...	3
III Financial Assistance ...	7
IV Promotional Activities ...	9
V Administration ...	12
VI Conclusion ...	15

APPENDICES

I Guidelines for selection of books and libraries in the States ...	21
II Guidelines for central selection of books ...	24
III Statements of assistance under the schemes of assistance towards (a) binding and preservation of rare books and manuscripts and (b) storage of books during 1980-81 ...	27
IV Statement showing number of libraries covered under various programmes during 1980-81 ...	28
V List of papers presented/circulated at the seminar and the recommendations of the seminar on Adult Education and Library System in India ...	30

VI	List of members of the Foundation	...	33
VII	List of members of the Administrative Committee	...	36
VIII	List of Conveners of the State Library Planning Committees	...	38
IX	Organisation Chart	...	43
X	Statement showing the amount of contribution received and assistance rendered during 1980-81	...	44
XI	Statement of audited accounts for 1980-81	...	46
XII	Charts showing expenditure under different heads during the year	...	58
XIII	Diagram showing number of libraries assisted and amount of assistance rendered during the period 1972-73 to 1980-81	...	59
XIV	Number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1980-81	...	60

IN MEMORIUM



LATE PROF. NIHARRANJAN RAY
Chairman (1974—1977)

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
Ninth Annual Report
1980-81

I. INTRODUCTION

Raja Rammohun Roy Library Foundation is an autonomous organisation sponsored and fully financed by the Ministry of Education and Culture, Government of India. It was constituted in May 1972 on the occasion of the bi-centenary of the birth of Raja Rammohun Roy. The basic objective of the Foundation is to promote and support library movement in the country and to develop reading habit among the people, particularly in the non-metropolitan areas. It works in co-operation with the library authorities of the States and Union Territories. The Foundation is registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961.

During the year under review the Foundation made progress in several directions. It was able to increase the quantum of assistance above that of the previous years. The progress is, however, more apparent than real. With the rising cost of books the volume of assistance has in fact been dwindling over the years. The resource position of the Foundation remaining somewhat static it cannot obviously undertake commitment for larger assistance to offset the effect of inflation in the book market.

The Foundation can, however, claim satisfaction over the fact that it received a record contribution of Rs. 23.49 lakhs during the year marking an increase of Rs. 4.41 lakhs over the previous year. This perhaps indicates greater confidence of the States and Union Territories in the activities of the Foundation and growing popularity and usefulness of its programmes. While more and more States are coming

forward to participate in the programmes of the Foundation the smaller States are increasing their contributions to the maximum limit. It is no doubt an encouraging phenomenon but the consequent obligation of matching assistance is posing a problem for the Foundation.

The Foundation does not just function as an aid-giving body. It is conscious of its responsibility for the dissemination of ideas for the promotion of library services in the country. With that objective in view a series of lectures by some eminent scholars on different aspects of library organisation was initiated during the year. The lectures, discussions and talks may make some contribution towards the formulation of national library policy and national library system the two principal objectives of the Foundation.

Library service being a state subject the Foundation has necessarily to work within the parameters of constitutional provisions. It works in co-operation with the State Governments. The States which have better infrastructure of library services can utilise assistance from the Foundation in a more fruitful manner than the States having no well-organised network of libraries. The five States which have adopted library legislation viz. Tamil Nadu (1948), Andhra Pradesh (1960), Karnataka (1965), Maharashtra (1967) and West Bengal (1979) have developed good network of libraries. It is no wonder that these States proportionately took larger assistance from the Foundation. The idea of library legislation has been propagated by the Foundation from various platforms. It collaborated with Indian Library Association in discussion on the subject last year at the Association's annual conference held at Hyderabad. Due to the combined efforts of the Foundation and the library associations a number of States have now started their exercise for enacting library legislation. The Foundation looks forward to the day when most of the States will build-up a well-integrated network of library service with legislative support.

II. BOOK ASSISTANCE

Books and readers constitute two basic elements in library service. The Foundation therefore decided to continue the programme of book assistance to the libraries during the 6th Plan period. The assistance is rendered under certain schemes viz.

1. Scheme of assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials ;
2. Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services ;
3. Assistance to centrally sponsored libraries ;
4. Assistance to State Central Libraries and District Libraries directly by the Foundation.

1. Assistance towards building-up of adequate stock of books and reading and visual materials :

The quality of a library depends on the size of its collection and the number of readers it serves. A library grows when it replenishes its stock from time to time. But with the meagre funds available and with the increasing price of books the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of their growing readership. Except in a few States, whatever funds are available from different sources are spent up primarily for the maintenance of staff. The Foundation, therefore, continues this major programme in order to strengthen the book-stock of libraries.

The programme has been sub-divided into two parts keeping in view the organisational pattern of libraries and the level of readership they serve : (a) Assistance to State and District Libraries (b) Assistance to Town and Rural Libraries.

State Library Planning Committees are responsible for the preparation of list of libraries and list of books. For the purpose of selecting books the Foundation issued certain guidelines (see Appendix I.). The Foundation approves the lists keeping in view the funds available for each State.

Once the lists are approved, the Foundation requests the State authorities to purchase and distribute the books. Some States viz. Andhra Pradesh, Karnataka, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Tripura and Mizoram have agreed to assume responsibility for the purchase and distribution of books. Uttar Pradesh has agreed to do so from next year. Others are reluctant to do so on the ground that they do not have adequate machinery for placing orders and checking the bills of suppliers. The Foundation is doing the job for these States and Territories. Payment is released on receipt of copies of orders and certified bills from the Conveyers in respect of the former group of States. When the Foundation places orders 75% payment is made to the publishers/book-sellers on receipt of proof of despatch and the balance, on receipt of acknowledgements from the recipient libraries.

(a) *Book Assistance to the State Central Libraries and District Libraries :*

All the States except Sikkim and Lakshadweep have set up State Central Libraries. Delhi is covered by Delhi Public Library. The State Central Library of Tamil Nadu i.e. Connemara Public Library and M.S. Town Hall Library of Maharashtra get books under the Delivery of Books Act. There are also Regional Libraries in some of the States viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. Some of the State Central Libraries and Regional Libraries also function as District Libraries for the respective districts in which they are located. State Central

Libraries and Regional Libraries are usually Government libraries. However, Gujarat Vidyapeeth in Gujarat, Sinha Library in Bihar and Maulana Azad Central Library in Madhya Pradesh are notable exceptions. Similarly, some of the District Libraries are Government Libraries and some are Government aided. In some States Sub-Divisional Libraries are treated at par with District Libraries for receiving assistance. During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 382 District Libraries. Books worth Rs. 1.76 lakhs were supplied to them.

(b) *Book Assistance to Town and Rural Libraries*

The organisational pattern of the libraries below the district level is not uniform. They do not always conform to administrative units. Generally speaking, in the south they are called Branch libraries, in the West Taluka libraries, in the north Tehsil libraries and in the east Sub-Divisional libraries. Further below we have Block, Municipal, Town and Rural libraries. Most of these libraries are private libraries run by voluntary organisations, registered or unregistered. For the purpose of giving grants the libraries are sometimes classified into various groups. Since the aim of the Foundation is to take library service to small towns and villages, great stress has been laid upon assistance to this group of libraries. During the year the Foundation covered 3885 town and rural libraries and books valued at Rs. 27.77 lakhs were supplied to them.

2. Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services :

If the benefits of public library service are to reach the vast number of the less educated and neo-literate persons in small towns and villages, arrangement should be made to deliver books, written in simple language on subjects of

popular interest, at their doorsteps. All established libraries and reputed voluntary organisations engaged in social welfare activities are encouraged to organise this service. Assistance under the scheme is given in the form of books, cycles, rickshaws, trunks, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one delivery station to another with the help of cheap modes of transport or volunteers. Where library service has not reached the rural areas, book delivery stations may be set up in villages; and where library coverage is extended to villages, door to door service may be organised in co-operation with the agencies and workers engaged in implementing adult education programmes.

During the year the Foundation gave assistance to a few District libraries in Kerala and the Marathawada Library Association in Maharashtra for their Udgir Prakalpa.

3. Assistance to Centrally Sponsored Libraries :

The Department of Education under its Youth Services Programme has established Nehru Yuvak Kendras in various District headquarters of the country for the welfare of nonstudent youths between 15 to 35 years of age. Apart from recreational activities, Nehru Yuvak Kendras are also expected to support adult education programme and to run circulating library service through rural youth clubs. The Foundation supports the library service organised by the Kendras. Similarly the Bal Bhavan Society of India has sponsored Jawahar Bal Bhavans in different parts of the country. Department of Social Welfare also set up Aurobindo Bal Kendras in big cities for the education of slum-dwelling children. Assistance under the scheme can also be rendered to some reputed voluntary organisations recognised or recommended by the Government of India. During the period the Foundation rendered assistance to 44 Nehru Yuvak Kendras, 19 Bal Bhavans and Bal Kendras.

4. Assistance to State Central Libraries and District Libraries directly by the Foundation :

Apart from the books selected by the respective SLPCs, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a limited number of books, mainly in English, for distribution to the State and District Libraries of the country.

The selection is done with the help of Book Selection Committee set up by the Chairman as authorised by the Administrative Committee. Guideline for central selection of books were also adopted by the Foundation's Administrative Committee. (see Appendix II). During the year the Foundation selected 77 titles for State Central Libraries, 9 titles for District Libraries and 12 titles for both State Central and District Libraries. The quantum of assistance under this programme amounted to Rs. 4 lakhs.

III. FINANCIAL ASSISTANCE

There are three schemes under which financial assistance is rendered to the libraries.

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts ;
2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions ;
3. Assistance towards storage of books ;

1. Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts :

The Foundation adopted this scheme in 1975-76 to give financial assistance to old and well-established libraries of the country for fumigation, lamination, repair, binding and preservation of rare books, journals and manuscripts.

Though the Foundation recommends that such rare books and manuscripts should be collected and preserved by some selected libraries having facilities for preservation of such materials, many libraries do not like to part with their treasures. Hence assistance has to be given under the scheme to a large number of public libraries on the recommendation of the State authorities. During 1980-81 the Foundation rendered financial assistance to 156 libraries amounting to Rs. 0.46 lakhs. So far the Foundation has covered 321 libraries and spent Rs. 8.01 lakhs for the purpose. (see Appendix III)

2. Assistance towards organisation of library workshops, seminars and book exhibitions :

The object of the scheme is to give reorientation training to Librarians and to promote the use of books and reading habit among the public. The assistance under the scheme is available to State Government Department/Directorate/State Central Libraries, Library Associations and Institutions imparting training in Library Science.

Assistance was given to the Indian Library Association for organising their XXVII All India Library Conference at Hyderabad. The two main themes of the Conference were (a) Library Legislation and (b) Stock verification. Another recipient of assistance was Indian Association of Special Libraries and Information Centres. An amount of Rs. 5,000/- was granted to the IASLIC for their IX National Seminar at Nagpur in October 1980 to discuss (a) Role of Information Centre in Technology Transfer (b) Role of State level and National Library Associations in Library Development in India. Assistance was also given under the scheme to three District Library authorities of Andhra Pradesh viz. Hyderabad, Visakhapattanam and Guntur for the organisation of Refresher Courses for graduate librarians. In all 170 Librarians received refresher course training.

It is expected that more and more States will come forward to take advantage of this scheme in the coming years.

3. Assistance towards storage of books :

This is comparatively a new scheme adopted in 1979-80 to facilitate small libraries below the district level to keep and display the increasing number of books received from the Foundation. Under the scheme financial assistance is given to the libraries for purchasing not more than two almirahs/racks in a year on the recommendation of the State Government. During the year the Foundation gave assistance to 320 libraries of Kerala and 47 libraries of Himachal Pradesh (see Appendix III).

(For number of libraries covered under various programmes during 1980-81 see Appendix IV).

IV. PROMOTIONAL ACTIVITIES :

(a) *Celebration of the 208th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 8th Foundation Day of the Foundation :*

The Foundation celebrated the 208th birth-anniversary of Raja Rammohun Roy and the 8th anniversary of the Foundation Day on 22 May 1980. Prof. Bhabatosh Datta gave an address on Raja Rammohun Roy's Economics. Prof. Devipada Bhattacharjee, Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, presided.

(b) *Seminar on Adult Education and Library System in India :*

A seminar on Adult Education and Library System in India was organised in Calcutta on 3-4 April 1980. Late Prof. Niharranjan Ray inaugurated the seminar and Prof. Bhabatosh Datta delivered the Valedictory address. 24 participants from different parts of the country took part in the

seminar. In all 12 papers were presented. The recommendations of the seminar were circulated amongst the institutions concerned.




Prof. R. K. DASGUPTA addressing the august audience in the Seminar meeting.

(For the list of papers presented at the seminar and the recommendations see Appendix V)

(c) *Series of lectures on different aspects of library organisation and services :*

In pursuance of the objectives of the Foundation and recommendations of the Evaluation Committee, the Foundation organised a series of lectures by some eminent scholars and experts on different aspects of library organisation and service. Out of this 3 lectures were delivered during the year, details of which are given below :

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. B. S. Kesavan
Former Librarian, National Library and Director INSDOC. | The Glory that the Printed word was and could be. |
| 2. Prof. T. K. S. Iyengar
Librarian, Indian Institute of Science, Bangalore. | Library Architecture. |
| 3. Dr. V. A. Kamath
Head of Library and Information Service, Bhaba Atomic Research Centre, Trombay. | The Role of Special Libraries in a National Information System, with special reference to India. |



Prof. B. S. KESAVAN delivering the Inaugural lecture

(d) *Tours and Contacts :*

Member-Secretary

Member-Secretary attended the XXVII All India Library Conference held under the auspices of the Indian Library Association at Hyderabad from 9—12 January 1981 and participated in the deliberations on Library Legislation.

He addressed a meeting of the Chairmen and Secretaries of Zilla Grandhalaya Samsthas of Andhra Pradesh presided over by the Minister-in-Charge of Libraries at Hyderabad on 9 January 1981.

He also attended SLPC meetings in different States.

V. ADMINISTRATION :

The Foundation is composed of 22 members headed by the Education Minister or his nominee as its Chairman. Prof. R. K. Dasgupta, former Director of National Library, Calcutta, continued to be the Chairman of the Foundation, during the year under report.

Foundation :

The Foundation held two meetings during the year : 6th Ordinary General Meeting on 2 April 1981 and 7th Annual General Meeting on 20 September 1980.

Two vacancies occurred in the Foundation due to the death of Prof. Zawar Hussain and Principal Sadhana Sarkar.

(For list of members of the Foundation see Appendix VI)

Administrative Committee :

The Foundation is assisted in its functioning by an Administrative Committee. It consists of eleven members including the ex-officio members i.e. Chairman, Financial Adviser, Representative of the Department of Culture and Member-Secretary. The Committee was reconstituted by the Foundation at its 7th Annual General Meeting held on 20.9.1980. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held three meetings during the year.

(For list of members of the Administrative Committee see Appendix VII).

State Library Planning Committees :

State Library Planning Committee is the principal agency through which the Foundation collaborates with State and Union Territory Governments. The Committee is expected not only to plan the expansion and development of library services in the State but also to supervise the implementation

of various programmes of assistance adopted by the Foundation. It is also expected to serve as a co-ordinating body of several departments engaged in the promotion of library services at various levels. The functions of SLPC are :

- (a) to prepare a comprehensive plan of library services in the State particularly in the non-metropolitan areas ;
- (b) to ensure payment of regular State Government contributions to and sanction of regular matching grants from the Foundation ;
- (c) to scrutinize and recommend proposals for assistance to the Foundation ;
- (d) to select books according to the needs of the community and in conformity with the guidelines prescribed by the Foundation ;
- (e) to ensure proper utilisation of assistance rendered by the Foundation ;
- (f) to create an atmosphere for the development of reading habit among the general public by arranging symposia, seminars, exhibitions and cultural activities ;
- (g) any other activity for developing library movement.

(For list of Conveners of State Library Planning Committees see Appendix VIII)

Staff and Office :

Member-Secretary : Dr. B.P. Barua continued as Member-Secretary.

Others :

Dr. Pandey S. K. Sharma and Shri S. K. Basu continued as Field Officer and Executive Officer respectively. Shri R.

Bhattacharjee joined as Assistant Secretary on 17.7.80. One post of Library Assistant and one Group D post were created during the year. The staff strength excluding a part-time Sweeper was 24.

(For an organisation chart of the Foundation see Appendix IX)

Accommodation :

The office of the Foundation is located in a rented flat at 110, Jodhpur Park, Calcutta-7000 68. The accommodation is not adequate. To solve the problem the Foundation acquired a plot of land at Salt Lake, Calcutta from the Government of West Bengal and decided to construct a building of its own.

Finance :

The Foundation is fully financed by the Government of India. During the year the Foundation received a total grant of Rs. 23.75 lakhs (Rs. 3.75 lakhs under Non-Plan and Rs. 20 lakhs under Plan) from the Government of India. In addition, the Foundation also receives contribution from the State and Union Territory Governments. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation under its different schemes. The amount of contribution increased from Rs. 19.08 lakhs during 1979-80 to Rs. 23.49 lakhs during 1980-81.

(For statement of contributions received from and assistance rendered to various States and Union Territories see Appendix X)

The accounts of the Foundation for 1980-81 have been audited by the Accountant General, Central, Calcutta and approved by the Foundation in its Annual General Meeting, held on 14th December 1981.

(For statement of audited accounts for 1980-81 as certified by the Accountant General, Central, Calcutta see Appendix XI)

The Foundation can claim satisfaction over the fact that proportion of expenditure on administration is only 10.06% of total expenditure. The total expenditure for assistance amounted to Rs. 37.12 lakhs.

(For chart showing expenditure under different heads during the year see Appendix XII and for diagram showing number of libraries assisted and amount of assistance rendered during the period 1972-73 to 1980-81 see Appendix XIII)

Rules and Regulations :

The constitution of the Foundation is embodied in its Memorandum of Association and Rules. Delegation of powers and the terms and conditions of service of the employees are regulated by Service Regulations. Contributory Provident Fund scheme was introduced in 1975. Matters that are not covered by the above rules and regulations are to be decided by the Administrative Committee and the Foundation.

VI. CONCLUSION :

Problems and bottlenecks :

In executing the programmes, the Foundation was confronted with various problems and bottlenecks during the period under review. Apart from late submission of proposals by some States, proposals from some other States were not received at all during the year. As a consequence funds received from and earmarked for such States could not be utilised fully which resulted in a large closing balance at the end of the year.

Acquisition of books in bulk for the participating libraries

is desirable because it reduces expenditure on purchase and encourages publishers to produce books according to our choice. The Foundation, therefore, requests the State authorities to prepare common lists of books for various categories of libraries. This is in conformity with the objectives of the Foundation, and it also suits administrative convenience. But the procedure is not liked by some on the ground that books acquired through centralised selection may not be acceptable to particular libraries. An experiment was made in West Bengal to decentralise selection of books, but the experiment proved a failure. Consolidation of lists of books could not be finalized by the State Government even within two years.

On the other hand, the scheme of bulk purchase of books is, perhaps, encouraging publishers to price their titles unreasonably high. Requests are often received from publishers for increased prices of selected books on grounds of higher cost of production for their new editions. To check this tendency the Foundation has requested the State authorities to select books after physical verification and also to take into account both the quality and price of a book before selection.

Achievement :

Notwithstanding various administrative and procedural constraints, the Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1981 the Foundation received a total contribution of Rs. 284.89 lakhs out of which Rs. 161.05 lakhs were received from the Government of India and the balance amount of Rs. 123.84 lakhs, from the States and union territories.

The volume of assistance rendered during the year amounts to Rs. 37.11 lakhs and the grand total of assistance during the last nine years is Rs. 2.44 crores.

Over the last 9 years the Foundation has covered 13, 174 libraries at various levels.

State Libraries	...	27
District Libraries	...	411
Nehru Yuvak Kendras	...	149
Bal Bhavans, Bal Kendras etc.	...	43
Town and Rural Libraries	...	11,380
Mobile Libraries, Rural Book Deposit Centres	...	948
Libraries run by voluntary organisations, N.S.S. Centres and others.	...	216
		13,174
TOTAL ...		13,174

(For number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1980-81 see Appendix XIV)

The Foundation has been able, in the course of the nine years of its functioning, to create an awareness of library service among the public. Some States have started exercise for library legislation, others have established libraries at various levels, and some others have encouraged voluntary organizations to run libraries with book assistance from the Foundation. The presentation of books itself has generated a momentum of its own. Libraries with larger stock of books are expanding their services by setting up book delivery stations. Mobile or circulating Library Service is being organised in many districts. Almost all the good public libraries of the country have been receiving funds for binding their rare books and manuscripts. Thousands of libraries in the countryside are receiving book assistance from the

Foundation every year. The Foundation can thus reasonably claim to have created an atmosphere for the expansion of library service throughout the country. The momentum is to be sustained and vigorously followed up in the years to come.

APPENDICES

GUIDELINES FOR SELECTION OF BOOKS AND LIBRARIES IN THE STATES

1. The main objective of the Foundation is to spread the library movement in small towns and villages and to develop reading habit among the people. The objective should be kept in view in selecting libraries and books for assistance.

2. The Foundation has not prescribed any fixed norm for the selection of books from different subject groups as the objective conditions (viz. availability of literature in different subjects in regional languages, extent of literacy, development of library service and reading habit of the people) differ from state to state. It is, however, suggested that 25% books should be selected from children's literature, literature for neo-literates and popular science. In respect of other categories of books the State Library Planning Committees are free to set their own norms.

3. It is desired that at least 20% of books should be selected from the publications in English, Hindi and regional languages other than the major regional language of the State in the interest of national integration. On the same consideration translations of award-winning books of other regional languages viz. Adan Pradan series being published by National Book Trust should find place in the list of selected books.

4. Since many Central and State Government organizations are engaged in the production of good literature, it is expected that some percentage of books will be selected from the publications of Government and semi-Government organizations viz. Publications Division, Sahitya Academi, National Book Trust, NCERT, State Sahitya / Granth Academies etc.

5. Keeping the above guidelines in view the selection of books will be made by the State Library Planning Committee. If considered necessary the S.L.P.C. may set up a sub-committee to be known as Book Selection Committee. Subject experts may be co-opted in the committee or the sub-committee as the case may be. It is desirable to consult the librarians as far as practicable in selecting books.

6. Books should be selected after physical verification and the selected books should be kept as specimen copies to settle disputes that may arise in future. If it is not possible to get specimen copies, the selectors may take help from other book selection tools such as latest catalogues of reputed publishers, book reviews published in standard papers and journals.

7. Great care should be taken in considering the price of a book. In the notification or the advertisement calling for submission of books it should be clearly mentioned that the printed price of the book will be accepted as correct price and will remain valid for one year from the date of submission. No claim for increased price will be entertained after the selection. Books without printed price and books whose prices have been altered by pasting slip or rubber stamp shall not be selected. A tendency has developed in some quarters to inflate the price of a book at the time of submission for selection under a scheme of bulk purchase. To check this unhealthy development it is suggested that the price of a book should be taken into consideration before selection. A popular book need not be necessarily selected if it is considered that the book is priced very high. The maxim of "the best reading for the largest number at the least cost" should continue to be the guiding principle of the book selectors.

8. The Foundation buys books at a graded rate of discount as mentioned below :

1 — 10 copies	10% discount
11 — 25 "	15% "

26 — 100 copies	20% discount
101 — 200 „	25% „
201 — 500 „	30% „
501 — above	35% „

Special considerations are made if it can be proved by the concerned institutions or concerns that due to their pricing policy they do not give more than a prescribed rate of discount to any other party. The rates of discount should be kept in view while preparing the list of books. A list in proportion to the fund available or earmarked should be prepared. The principal list should be accompanied by a supplementary list containing the names of books in order of preference.

9. In preparing the lists of books the requisite bibliographical details are to be recorded viz. name of title, name of author, name and address of publisher, subject, year of publication, edition (paper back or hard cover) and price. One or two common lists of books (one for district level libraries and one for small town and rural libraries) may be prepared. For administrative convenience books should be included publisher wise in the list. The particulars are to be recorded in English or Devnagari script. Every page of the booklist should bear the signature of the Convener or the officer-in-charge indicating the authenticity of the selected books.

10. In selecting town and rural libraries care should be taken to ensure that the selected libraries are actually functioning. The selection of unregistered libraries should generally be avoided. The list should contain the full name and addresses of the selected libraries. Since publishers are reluctant to supply books direct to the rural libraries, the distribution centres should also be indicated while furnishing the list of libraries.

GUIDELINES FOR CENTRAL SELECTION OF BOOKS

1. The object of the scheme is to support the State Central Libraries, District Libraries and such other public libraries as may be decided by the Foundation from time to time with suitable reading materials that are not ordinarily procured by them.
2. Books will be selected in proportion to the funds available under the scheme.
3. Since books in Hindi and regional languages are selected by the State authorities under another scheme of the Foundation and books written in English seldom find place in the lists prepared by the State Governments, the Foundation will mainly select books in English under this scheme. Exception may, however, be made in case of very useful books published in Hindi and other regional languages by Government and semi-Government bodies subject to the availability of funds.
4. Books published in foreign countries, text books and costly books above Rs. 100/- shall not ordinarily be selected.
5. Books written, edited or published by the members or officials connected with the Foundation shall not be ordinarily selected during their tenure under this scheme.
6. Costly books and books of high standard will be selected for State Central Libraries, low-priced books of general interest will be selected for District Libraries. A book may, however, be selected for a special group of libraries if considered necessary by the Administrative Committee.
7. Books will be selected with the help of a Book

Selection Committee constituted by the Chairman. The Committee will consist of 5 to 7 members having knowledge of books. A Librarian may be associated with the Committee. Member-Secretary shall be the Convener of the Committee. The Committee shall have a term of one year which may be renewed. The composition of the Committee will be reported to the Administrative Committee following its constitution.

8. The Book Selection Committee shall meet twice in a year. In one meeting the publications of Government and semi-Government organisations/institutions and in the other meeting those of private publishers will be taken up for consideration. Books received from and through the Government of India may be considered in both the meetings. Funds may be equally distributed for selection of both categories of books.

9. Since most of the publishers are aware of this scheme, no advertisement inviting books will be issued by the Foundation. Members of the Foundation and of the Book Selection Committee can, however, suggest suitable titles for selection. Not more than two books shall be suggested by any member at any time for consideration in one meeting.

10. Books will be normally selected after physical verification. When a member of the Foundation or of the Book Selection Committee or an official of the Central Government recommends any title he will either advise the publisher concerned to submit the title or furnish full bibliographical details of the book. The office may also try to get a copy of the book from the publisher for the purpose of selection.

11. Ordinarily not more than 5 books of a publisher shall be accepted at any time for consideration in one meeting. It will be the responsibility of the parties who submitted books on inspection basis to get back the non-selected books at their cost. Selected books shall be retained in the office till the process of purchase is completed.

12. Books retained in the office shall either be taken into stock of the office library or be donated to some public library with the approval of Chairman.

13. Books received from various sources shall be put up before the Book Selection Committee. The recommendations of the Book Selection Committee containing lists of books recommended and not recommended shall be placed before the Administrative Committee. The decision of the Administrative Committee shall be final.

14. A book not selected in one meeting shall not be reconsidered in two subsequent meetings.

15. As far as practicable books shall be selected from various groups of subjects in the following proportions :

1. Literature	...	20%
2. Social Sciences	...	30%
3. Philosophy, religion and art	...	15%
4. Science	...	20%
5. General and reference books	...	15%

**STATEMENT OF ASSISTANCE UNDER THE SCHEME OF
ASSISTANCE TOWARDS BINDING & PRESERVATION
OF RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS DURING
THE YEAR 1980-81**

Sl. No.	Name of the State	No. of libraries covered	Amount released
1.	Andhra Pradesh	1	1,500/-
2.	Bihar	1	1,500/-
3.	Haryana	1	2,500/-
4.	Kerala	28	10,700/-
5.	Maharashtra	2	7,500/-
6.	Orissa	15	10,500/-
7.	Rajasthan	1	5,000/-
8.	Uttar Pradesh	1	2,500/-
9.	West Bengal	107	5,350/-
TOTAL=			Rs. 47,050/-

N. B.—A cheque for Rs. 1,000/- in favour of District Central Library, Palghat, Kerala was cancelled during the year 1980-81.

**STATEMENT OF ASSISTANCE UNDER THE SCHEME OF
ASSISTANCE TOWARDS STORAGE OF BOOKS
DURING THE YEAR 1980-81**

Sl. No.	Name of the State	No. of libraries covered	Assistance rendered
1.	Himachal Pradesh	47	55,648/-
2.	Kerala	320	1,60,000/-
3.	Orissa	80	32,000/-
TOTAL=			Rs. 2,47,648/-

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED UNDER
VARIOUS PROGRAMME DURING—1980-81**

Sl. No	Name of the State/Union Territory	State Central Libraries	District Libraries	Sub-Div./Block/Taluka/Area/rural Libraries	Mobile Libraries/Book Deposit Centres	Libraries assisted for Storage of Books	Libraries assisted for Binding & Preservation	Nehru Yuva Kendras	Bal Bhabans/Bal Kendras & Children's Libraries	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	1	30	478	32	—	1	—	—	542
2.	Assam	1	9	—	—	—	—	—	2	12
3.	Bihar	1	31	549	—	—	1	—	—	582
4.	Gujarat	1	18	500	—	—	—	—	1	520
5.	Haryana	1	6	43	—	—	1	—	4	55
6.	Himachal Pradesh	1	11	36	—	47	—	1	1	97
7.	Jammu and Kashmir	1	19	—	—	—	—	—	—	20
8.	Karnataka	1	19	574	—	—	—	—	1	595
9.	Kerala	1	11	7	6	320	27	1	4	377
10.	Madhya Pradesh	1	29	—	—	—	—	1	—	31
11.	Maharashtra	1	26	345	—	—	2	—	2	376

LIST OF PAPERS PRESENTED / CIRCULATED AT THE SEMINAR
AND THE RECOMMENDATIONS OF THE SEMINAR ON ADULT
EDUCATION AND LIBRARY SYSTEM IN INDIA

Papers presented/circulated :

1. Public Library Situation in India ...Dr. B. P. Barua
2. Adult Education In India—some aspects ...Dr. N. A. Ansari
3. National Adult Education Programme and its Implementation and the need of Textbook Libraries for the Nonformal Education of the Neoliterates ...Late Sm. Sadhana Sarkar
4. Learning Materials in the N.A.E.P. ...Shri Satyen Maitra
5. Audio-Visual Materials for Adult Education and Library ...Shri B. B. Mohanty
6. Educational Technology and System Design for the Production of Education Material for Adult Education Programme—A case study ...Prof. M.M. Chowdhury
7. The Rural Library as Community Centre ...Prof. R. K. Dasgupta
8. Role of Mobile Library Services/Book Deposit Centres in Promoting Reading Habit Among the People ...Shri S. S. Chakravarty

9. Library Drive Through Information Services ...Shri S. K. Ganguly
10. Adult Education Centres and Rural Libraries ...Shri P. N. Panicker
11. Follow-up and Continuing Education Services in National Adult Education Programme ...Shri Virendra Tripathy
12. Adult Education and Libraries ...Shri B. N. Tewari

RECOMMENDATIONS

1. The role of libraries and adult education centres functioning under the various schemes of the Central and State Governments and non-governmental agencies are complementary to each other. While teaching and learning of literacy may constitute major activities in an adult education centre, reinforcement of literacy and numeracy skills of the vast number of people with limited reading ability can only be promoted through wider use of written and audio-visual materials among the disadvantaged sections of the population in the rural, remote and urban areas. This should form an important component of rural library service sponsored by various agencies.

2. Promotion of adult education and library service in the rural areas demands debureaucratisation of the process of planning, administration and monitoring and a greater involvement of the institutions and other developmental and voluntary agencies functioning in this sector. The authorities promoting primary education, adult education and library services may take initiative to evolve suitable modalities to bring about the desired coordination among various agencies at the lower levels.

3. Appropriate strategies for promotion of the library

movement not only on traditional lines but also for meeting the growing educational, cultural and information needs of the community should be formulated. Raja Rammohun Roy Library Foundation is in a unique position to provide leadership in this area. In order to enable the Foundation to perform the task in an effective manner the Foundation should be adequately strengthened and its resources augmented.

4. The agencies associated with the implementation of adult education programme should immediately explore the possibility of using existing libraries as resource units to provide support services for adult and continuing education programmes. Wherever possible, libraries, particularly in the rural areas, should be encouraged to organise mobile units and door to door service with the active participation of the community based institutions and the school system.

LIST OF MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. **Prof. R. K. Dasgupta**
Chairman
R. R. R. L. F.
Calcutta.
2. **Shri Saran Singh**
Secretary
Government of India
Deptt. of Social Welfare
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.
3. **Shri Mir Nasrullah**
Additional Secretary
Government of India
Deptt. of Culture
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.
4. **Shri J. A. Kalyanakrishnan**
Financial Adviser
Government of India
Integrated Finance Division
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.
5. **Joint Secretary**
Government of India
Adult Education Division
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.

6. Shri A. L. Dias
Chairman
National Book Trust, India
New Delhi.
7. Dr. R. S. Kelkar
Secretary
Sahitya Akademi
Rabindra Bhavan
New Delhi.
8. Shri B. L. Bharadwaja
President
Indian Library Association
New Delhi.
9. Prof. Bidhubhusan Das
Former D. P. I., Orissa
A/315 Saheednagar
New Capital
Bhubaneswar
Dist. Puri
Orissa.
10. Prof. A. K. Jalaluddin
Prof. of Physics
N. C. E. R. T.
New Delhi.
11. Prof. S. Maqbul Ahmad
Head, Centre of Central
Asian Studies
The University of Kashmir
Srinagar.
12. Sr. Helen Vincent
Principal
Stella Maris College
Madras.

13. (Late) Zawar Hussain
10 Water Tower Road
Patna, Bihar.
14. (Late) Sadhana Sarkar
Principal
Rammohun College
Calcutta.
15. Miss Lata Patankar
Sr. Professor
Mulji Jetha College
Jalgaon, Maharashtra.
16. Shri P. N. Panicker
Kerala Association for
Non-formal Education,
Trivandrum, Kerala.
17. Shri J. C. Mehta
Director
Delhi Public Library, Delhi.
18. Shri N. D. Bagari
Former Librarian & Head of the Deptt.
of Public Libraries
Bangalore.
19. Shri Ram Goswamee
Librarian
State Central Library
Gauhati, Assam.
20. Shri B. N. Tewari
Librarian
State Central Library
Allahabad.
21. Dr. B. P. Barua
Member Secretary
R. R. R. L. F., Calcutta.

LIST OF MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE COMMITTEE

1. Prof. R. K. Dasgupta
Chairman
R.R.R.L.F.
Calcutta.
2. Shri J. A. Kalyanakrishnan
Financial Adviser
Government of India
Integrated Finance Division
Ministry of Education & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.
3. Shri N. D. Gupta, Under Secretary
Government of India
Ministry of Education & Culture
Library Division
Shastri Bhavan
New Delhi.
4. Shri B. L. Bharadwaja
President
Indian Library Association
New Delhi.
5. Shri N. D. Bagari
Former Librarian and Head of the
Deptt. of Public Libraries
Bangalore.
6. Shri J. C. Mehta
Former Director
Delhi Public Library
Delhi.

7. **Prof. Bidhubhusan Das**
Former D.P.I., Orissa
A/315 Saheednagar
New Capital
Bhubaneswar
Dist. Puri
Orissa.
8. **Prof. A. K. Jalaluddin**
Prof. of Physics
N.C.E.R.T.
New Delhi.
9. **Late Sadhana Sarkar**
Principal
Rammohun College
Calcutta.
10. **Dr. B. P. Barua**
Member Secretary
R.R.R.L.F.
Calcutta.

**LIST OF THE CONVENERS OF STATE LIBRARY
PLANNING COMMITTEES****1. ANDHRA PRADESH**

Shri C. Gopinath Rao
Director of Public Libraries
Hyderabad, Andhra Pradesh.

2. ASSAM

Shri Ram Goswamee
Librarian
State Central Library
Gauhati, Assam.

3. BIHAR

Shri Sampat Kumar Sinha
Superintendent of Libraries, Bihar
Sinha Library Road
Patna-1.

4. GUJARAT

Shri H. J. Upadhyaya
Curator of Libraries
Gujarat State
Sector No. 21 (Near Gymkhana)
Gandhinagar 382121,

5. HARYANA

Director of Public Instruction (Colleges)
Chandigarh.

6. HIMACHAL PRADESH

Shri N. S. Bawa
State Librarian
State Central Library, Solan
Himachal Pradesh.

7. **JAMMU & KASHMIR**
Shri Peerzada Ali Mohd.
Director
Archives & Museums
J & K Government
Old Secretariat, Srinagar.
8. **KARNATAKA**
Shri P. K. Patil
State Librarian & Head of the
Deptt. of Public Libraries
Seshadri Iyer Memorial Hall
Cubbon Park, Bangalore 560001.
9. **KERALA**
Shri P. V. Varghese
State Librarian
Trivandrum Public Library
Trivandrum 695001.
10. **MADHYA PRADESH**
Shri S. C. Dwivedi
Chief Librarian
Directorate of Public Instruction
Bhopal, Madhya Pradesh
11. **MAHARASHTRA**
Shri K. M. Ujlambkar
Director
Directorate of Libraries
Maharashtra State
Town Hall, Bombay
12. **MANIPUR**
Shri L. Nabakishore Singh
Chief Librarian
State Central Library
Manipur, Imphal.


13. **MEGHALAYA**
Director of Public Instruction
Shillong, Meghalaya
14. **NAGALAND**
Shri Alemchiba Ao
Director
Art & Culture
Kohima, Nagaland.
15. **ORISSA**
Shri A. N. Chatterji
Under Secretary to the
Government of Orissa
Deptt. of Tourism, Sports & Culture
Bhubaneswar
16. **PUNJAB**
Dr. K. S. Kang
Asst. Director (Cultural Affairs)
Office of the Director of Public
Instruction (C) Punjab
S. C. O. No. 66-67
Sector 17-D
Chandigarh, Punjab.
17. **RAJASTHAN**
Shri Devendra Pal Singh
Deputy Director
Social Education
Rajasthan, Bikaner.
18. **SIKKIM**
Smt. G. Gyamtso
Officer-on-Special Duty
Cultural Affairs
Community Centre Library
Gangtok 737101

19. **TAMIL NADU**
Director of Public Libraries
Tamil Nadu
Egmore, Madras 600008
20. **TRIPURA**
Shri B. Gupta
State Librarian
Birchandra State Central Library
Government of Tripura
Agartala 799001.
21. **UTTAR PRADESH**
Shri R. K. Mehrotra
Officer-on-Special Duty (Libraries)
Government of Uttar Pradesh
Department of Education
38 Darbari Lal Sharma Marg
Secretariat Annexe
Vidhan Bhavan, Lucknow.
22. **WEST BENGAL**
Dr. S. K. Gupta
Director of Library Services
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta 700 001.

UNION TERRITORIES

1. **ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS**
The Director of Education
Andaman & Nicobar Administration
Port Blair, Andamans.
2. **ARUNACHAL PRADESH**
Shri T. Ratan
Librarian
Central Library
Govt. of Arunachal Pradesh
New Itanagar, Arunachal Pradesh.

3. **CHANDIGARH**
Smt. Rajindra Chopra
Librarian
T. S. Central State Library
Chandigarh.
4. **DADRA & NAGAR HAVELI**
Head of the Education Department
Office of the Administrator
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa.
5. **DELHI**
The Director of Education
Delhi Administration
Old Secretariat
Delhi.
6. **GOA, DAMAN & DIU**
Shri V. B. Hubli
Curator
Govt. of Goa, Daman & Diu
Central Library
Panaji, Goa.
7. **LAKSHADWEEP**
Shri C. H. Koya
Social Welfare Officer
Admn. of the Union Territories of
Lakshadweep, Deptt. of Social Welfare
and Culture, Kavaratti (Via)
H. P. O. Calicut.
8. **MIZORAM**
Shri Thanseia
Dy. Director of Education
Aizawl, Mizoram.
9. **PONDICHERRY**
Shri P. R. Ramanathan
Director of Education
Pondicherry 605001.



**STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF CONTRIBUTION
RECEIVED AND ASSISTANCE RENDERED DURING
THE YEAR 1980-81**

Name of the State/U.T.	Contribution received	Assistance rendered	Remarks
Andhra Pradesh	2,00,000.00	3,58,837.17	Adequate bills not received
Bihar	2,00,000.00	2,48,430.56	—do—
Gujarat	—	1,50,000 00	Assistance rendered against previous contribution.
Haryana	—	64,888.45	—do—
Himachal Pradesh	50,000.00	1,58,050.36	Assistance rendered partly against previous contribution.
Karnataka	2,00,000.00	4,92,624.86	—do—
Kerala	2,20,000.00	1,86,300.72	Order placed but bills were not received.
Madhya Pradesh	2,00,000.00	—	—do—
Maharashtra	2,00,000.00	3,06,752.70	Adequate bills not received.
Meghalaya	—	1,007.50	Assistance rendered against previous contribution.
Nagaland	12,000.00	8,821.79	Adequate bills not received.
Orissa	2,00,000.00	3,88,788.18	—do—
Rajasthan	1,24,000.00	1,49,810.56	Adequate bills not received.
Sikkim	3,000.00	—	Proposal not received in time.
Tamil Nadu	2,00,000.00	60,286.75	—do—
Uttar Pradesh	2,00,000.00	5,34,845.03	The assistance includes the payment of old liabilities.
West Bengal	3,00,000.00	6,440.10	Adequate proposals not received.

Name of the State/U.T.	Contribution received	Assistance rendered	Remarks
Andaman & Nicobar Islands	—	14,579.88	Assistance rendered against previous contribution.
Lakshadweep	—	2,970.00	Assistance rendered to an underdeveloped Territory.
Mizoram	40,000.00	54,585.41	Adequate proposal not received.
Pondicherry	—	30,205.33	Assistance rendered against previous contribution.

STATEMENT OF AUDITED ACCOUNTS OF THE FOUNDATION FOR THE YEAR 1980-81

i) Receipts and payments Account for the period from : 1-4-80 to 31-3-81

R E C E I P T S		P A Y M E N T S	
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
I. Opening Balance :			
Cash in hand	695.48		
Cash at bank	10,64,035.32		
Term Deposit and Fixed Deposit & Savings A/c	1,89,511.40	12,54,242.20	
Permanent Advance (Imprest)		500.00	
			2,26,180.58
			26,792.10
			2,458.51
			32,794.29
II. Contribution Received from the Govts. of :			
1. Andhra Pradesh	2,00,000.00		
2. Bihar	2,00,000.00		
3. Himachal Pradesh	50,000.00		
4. Kerala	2,20,000.00		
5. Karnataka	2,00,000.00		
			2,26,180.58
			26,792.10
			2,458.51
			32,794.29
			2,26,180.58
			26,792.10
			2,458.51
			32,794.29

5. Rent of Building	31,788.00
6. Other Changes	48,541.20
7. Leave Salary & Pension Contribution	5,757.00
8. Maintenance of Staff Car	13,852.20
9. Foundation's Contribution to C.P.F.	11,744.96
10. Payment of Compu-Isory Deposit	936.20

11. Advances :	
a) Bicycle	825.00
b) Festival	3,600.00
12. Staff Welfare	1,000.00
13. Audit Fee	5,535.00
14. Deposit of Income Tax	4,333.00
15. Depos of Prof. Tax	1,325.00
	<u>4,17,463.04</u>

6. Maharashtra	20,00,000.00
7. Mizoram	40,000.00
8. Nagaland	12,000.00
9. Orissa	2,00,000.00
10. Madhya Pradesh	2,00,000.00
11. Rajasthan	1,24,000.00
12. Sikkim	3,000.00
13. Tamil Nadu	2,00,000.00
14. Uttar Pradesh	2,00,000.00
15. West Bengal	3,00,000.00
	<u>23,49,000.00</u>

III. Grants Received from the Govt. of India :

Plan	20,00,000.00
Non-Plan	3,75,000.00
	<u>23,75,000.00</u>

IV. Miscellaneous Receipts :

1. Bank Interest	25,522.73
2. Garage Rent	1,225.00
3. Sales Proceeds of old Newspaper etc.	459.00

P A Y M E N T S

Rs. P.

Rs. P.

Rs. P.

R E C E I P T S

Rs. P.

Rs. P.

Rs. P.

4. Refund of T. A.	3,099.00		
5. Refund of Flood Advance	437.00		
6. Refund of Festival Advance	360.00		
7. Refund of Cycle Advance	176.00		
8. Refund of Leave Salary	569.40		
9. Received Interest on Cycle Advance	10.00		
10. Compulsory Deposit Scheme	936.20		
11. Write Back of C.P.F. Contribution	3,462.00		
12. Write back of excess Bonus & Interest on C.P.F.	261.00		
13. Others	7,038.25	43,555.58	
II. Promotion of Library Services :			
A. Continuing Schemes :			
1. Assistance towards building up of adequate stock of books, reading and visual materials :			
(a) Strengthening of District & Sub-Divisional Libraries	1,75,982.83		
(b) Assistance to Rural Libraries	27,77,227.99		
(c) Assistance to Centrally Sponsored Libraries	23,409.71		
(d) Assistance to State & District Libraries through Central Selection of books.	4,00,906.66		
2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres & Mobile Library Services.			3,058.77

V. RRRLF (Employees)

C.P.F. Accounts :

Opening Balance :

Cash in Hand 1,977.32

Cash at Bank 50,411.38

Employees Subscription 12,414.00

Refund of Advance 2,728.00

Foundation's Contribution to C.P.F. 11,744.96

Interest received from Bank

1,722.04

28,609.00

3. Assistance to old and well established Libraries towards processing (Cataloguing and Classification). Building and Preservation of out-of-Print books and of rate manuscripts. 46,050.00

B. New Schemes :

4. Assistance to Libraries towards storage of books 2,47,648.00

5. Assistance towards organisation of Seminars, Workshops, Training Courses and Book Exhibitions 37,395.40

37,11,679.36

C. Refund of Secretary Deposit 561.35

III. Publication of the Foundation :

1. Publications 6,197.43

6,197.43

IV. Capital Expenditure :

1. Furniture & Equipment 8,692.33

2. Construction of office Building (purchase of Land) 72,240.00

80,932.33

R E C E I P T S

P A Y M E N T S

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
V. RRRLF (Employees) C.P.F. Accounts :			
Advance to Employees		2,934.00	
Final withdrawal by Employees		831.00	
Write back of Foundation Contribution to RRRLF Account		3,723.00	7,488.00
VI. Closing Balance of RRRLF (Employees) C.P.F. A/cs. :			
Cash in hand		3,530.96	
Cash at Bank		69,978.74	73,509.70
VII. Closing Balance :			
Cash in hand		174.20	
Cash at Bank		15,95,114.69	
Term Deposit & Savings A/c.		2,09,675.38	18,04,964.27
Permanent Advance (Imprest)			500.00
		Grand Total :	61,03,295.48

EXPENDITURE

INCOME

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
10. Grant for staff Welfare	1,000.00		
11. Audit Fee	5,535.00	4,13,774.84	
			IV. Interest Received from Bank 25,522.73
			V. Refund of Leave Salary 569.40

II. Assistance to Libraries :

(Continuing Schemes)

Purchase & Distribution of books	33,77,527.19
Organisation of Mobile library services etc.	3,058.77
	<u>33,80,585.96</u>

Less clearance of old

Liabilities during the year	3,43,787.38
	<u>30,36,798.58</u>

Add outstanding liabilities

during the year	1,49,964.91
	<u>31,86,763.49</u>

Assistance towards processing
(cataloguing & classification)

Binding & Preservation of

out-of-print books and

of rare manuscripts

46,050.00

New Schemes :

Assistance to libraries to-

wards storage of books

2,47,648.00

Assistance towards organisa-

tion of Seminar, Workshop

Training Course and

books Exhibitions

36,400.90

III. Publication of the Foundation :

Publications

6,197.43

IV. Excess of Income over

Expenditure

8,24,746.22

(iii) Balance-Sheet as on 31st March, 1981

54

L I A B I L I T I E S

A S S E T S

	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
I. Outstanding Liabilities :				
As per last Account	5,68,736.82			
Less clearance during the year	3,43,787.38			
	<u>2,24,949.44</u>			
Add outstanding liabilities during the year	1,49,964.91	3,74,914.35		
II. Security Deposit :				
As per last Account	2,635.02			
Less refund during the year	561.35	2,073.67		
III. Value of Assets :				
As per last Account	1,50,963.00			
Add during the year	80,932.33	2,31,895.33		
I. Furniture & Equipments :				
As per last Account	1,11,152.59			
Add during the year	8,692.33	<u>1,19,844.92</u>		
II. Construction of Office Building :				
(Purchase of Land)	72,240.00			72,240.00
III. Staff Car :				
As per last Account	29,111.85			
Add during the year	—	<u>29,111.85</u>		
IV. Deposits :				
As per last Account				
Post & Telegraphs Deptt.				15,000.00

IV. RRRLF (Employees) C.P.F. A/c.:

As per last Account 52,388.70
Add during the year 28,609.00

80,997.70

Less withdrawal during
the year 3,765.00

77,232.70

Less write back of excess
Bonus and Interest paid
to C.P.F. Account 261.00

76,971.70

Less amount credited
to RRRLF Account 3,462.00

73,509.70

V. Income & Expenditure A/c.:

Excess of Income over
Expenditure as per
last Account 6,96,571.80

Land Lord (Rent of
office Building) 4,500.00
Caution Money 100.00

19,600.00

V. Advances : Festival :

As per last Account 1,180.00
Add during the year 3,600.00

4,780.00
Less refund during
the year 2,980.00

1,800.00

Bi-Cycle :

As per last Account 770 00
Add during the year 825.00

1,595.00
Less refund during
the year 572 00

1,023.00

A S S E T S

L I A B I L I T I E S

	Rs. P.	Rs. P.
<i>Add excess of Income over expenditure as per Income & Expenditure Account</i>	8,24,746.22	
	15,21,318.02	
<i>Less on account of Capital Expenditure</i>	80,932.33	14,40,385.69
VI. Closing Balance :		
Cash in Hand		174.20
Cash at Bank		15,95,114.69
Term Deposit & Savings Account		2,09,675.38
		18,04,964.27
Cash balance with the Imprest Holder		500.00

VII. RRRRLF (Employees) C.P.F. A/c.

Closing Balance :

Cash in Hand	3,530.96
Cash at Bank	69,978.74
	<hr/>
	73,509.70

(including investment
of Rs. 36,000/-)

Grand Total : 21,22,778.74

Grand Total : 21,22,778.74

Sd/- S. BASU/30-6-81
Accountant

Sd/- S. K. BASU/1-7-81
Executive Officer

Sd/- B. P. BARUA/1-7-81
Member Secretary



AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts and Balance-Sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta for 1980-81 and obtained all the information and explanations that I have required and subject to observations in the Audit Report appended, I certify, as a result of audit of accounts, that in my opinion, these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair state of affairs of the Foundation according to the best of my information and explanations given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta produced before me.

Sd/- (A. K. DEB)
Director of Audit, Central,
Calcutta.


APPENDIX—XII

CHART SHOWING EXPENDITURE DURING 1980—81



1. Assistance to centrally sponsored Libraries and to State Central Libraries and District Libraries through Central Selection. (10.06%).
2. Assistance towards (i) Binding and Preservation (1.09%).
(ii) Mobile Library Service (0.07%).
(iii) Seminar, Workshop etc. (0.88%).
3. Assistance towards Storage of Books (5.86%).
4. Expenditure for publication including capital items (2.06%).
5. Assistance to Dist./Sub-Divn./Taluk/Area/Town/Rural Libraries under matching assistance (69.92%).
6. Administrative expenditure (10.06%).

DIAGRAM SHOWING NO. OF LIBRARIES ASSISTED & AMOUNT OF ASSISTANCE RENDERED DURING THE PERIOD 1972-73 to 1980-81




STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED UNDER VARIOUS
PROGRAMME FROM—1972-73 TO 1980-81

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	State Central Libraries	District Libraries	Sub-Div./Block/Taluka/Area/Rural Libraries	Rural Libraries run by Voluntary Organisations	Mobile Libraries/Book Deposit Centres	Libraries assisted for Storage of Books*	Libraries assisted for Binding & Preservation	Nehru Yuvak Kendras	Bal Bhavans/Bal Kendras & Children Libraries	Other/N.S.S.	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	1	30	848	4	619	—	24	14	1	—	1541
2.	Assam	1	19	61	9	—	—	5	4	3	—	102
3.	Bihar	1	31	931	2	—	—	18	9	—	—	992
4.	Gujarat	1	18	604	—	11	—	11	5	1	—	651
5.	Haryana	1	6	43	—	—	—	1	1	6	—	58
6.	Himachal Pradesh	1	11	36	5	—	47	1	5	1	—	107
7.	Jammu and Kashmir	1	19	—	2	—	—	3	1	1	—	27
8.	Karnataka	1	19	1896	8	—	—	5	8	1	—	1938
9.	Kerala	1	11	1072	15	75	320	46	5	4	—	1549
10.	Madhya Pradesh	1	49	—	4	—	—	9	11	2	—	76
11.	Maharashtra	1	26	1237	—	1	—	3	2	7	—	1277
12.	Manipur	1	5	26	18	—	—	1	2	—	—	53

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

नवौं
वार्षिक विवरण
1980-81



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, जोधपुर पार्क

कलकत्ता-700 068

जनवरी 1982

प्रकाशनाधिकार

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

110, जोधपुर पार्क

कलकत्ता-700 068

डॉ० बी० पी० बरुआ, सदस्य-सचिव, राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान, 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता द्वारा
प्रकाशित तथा मेहता फाइन आर्ट प्रेस, 20 बाल मुकुन्द मक्कर
रोड, कलकत्ता-700 007 द्वारा मुद्रित फोन : 34-1247

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

वार्षिक विवरण


1980-81

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
I परिचय	1—3
II पुस्तक सहायता	3—8
III वित्तीय सहायता	8—10
IV प्रोत्साहक गतिविधियाँ	10—12
V प्रशासन	12—16
VI उपसंहार	16—19
परिशिष्ट	
I राज्यों में पुस्तकालय एवं पुस्तक चयन के लिए निदेश	21—24
II केन्द्रीय रूप से पुस्तक चयन के लिए निदेश	25—27
III दुर्लभ पुस्तकों और पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी तथा परिरक्षण और पुस्तक संचयन 1980-81 के अन्तर्गत दी गयी सहायता का विवरण	28
IV वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किये गये पुस्तकालयों की संख्या का विवरण	29—30
V भारत में प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तक विषयक संगोष्ठी की अनुशंसाएँ	31—32
VI प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची	33—36
VII प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची	37—38
VII राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची	39—44

IX	संगठन सारिणी	45
X	वर्ष 1980-81 के दौरान प्राप्त अंशदान एवं दी गयी सहायता राशि का विवरण	46—47
XI	वर्ष 1980-81 के दौरान परीक्षित लेखा का विवरण	48—60
XII	वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खर्च की गयी राशि की तालिका	61
XIII	वर्ष 1972-73 से 1980-81 के दौरान विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किये गये विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या एवं दी गयी सहायता राशि की तालिका	62
XIV	वर्ष 1972-73 से 1980-81 के दौरान विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किये गये पुस्तकालयों की संख्या	63—46

स्मृति में :



(स्व०) प्रो० निहार रंजन रे
अध्यक्ष (१९७४-१९७७)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

नवाँ वार्षिक विवरण

1980—81

I. परिचय :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णवित्तीय सहायता प्राप्त प्रायोजित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्विशती जन्म जयन्ती समारोह के अवसर पर मई, 1972 में की गयी थी। प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण देश, विशेषकर गैरमहानगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय आन्दोलन को विकसित करना तथा लोगों की अध्ययन रुचि को बढ़ावा देना है। यह राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के पुस्तकालय अधिकारियों के सहयोग से कार्य करता है। प्रतिष्ठान पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अन्तर्गत निबन्धित है।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने बहुआयामीय प्रगति की। इसने गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पुस्तकालयों को अधिक सहायता दी। परन्तु यह प्रगति वास्तविक प्रगति नहीं बल्कि आभासिक प्रगति है। पुस्तकों के अनवरत वर्धनशील मूल्य के कारण सहायता वस्तुतः अधिक नहीं दी गयी। चूंकि प्रतिष्ठान की अर्थव्यवस्था के स्रोत पहले ही जैसे हैं, पुस्तक बाजार के मूल्यों के चढ़ाव के कारण संतुलन रखने में प्रतिष्ठान को असुविधा अवश्य होती है। फिर भी प्रतिष्ठान स्थिति के संतोषप्रद होने का दावा कर सकता है क्योंकि इस वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 23.49 लाख रुपयों का अभूतपूर्व

अंशदान प्राप्त किया, जो गत वर्ष की राशि से 4.41 लाख रुपये अधिक है। यह तथ्य राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के प्रतिष्ठान में बढ़ते हुए विश्वास को इंगित करता है तथा साथ ही साथ इसमें यह भी आभासित होता है कि प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ निरंतर लोकप्रिय हो रही हैं। जहाँ एक ओर अनेक राज्य प्रतिष्ठान की गतिविधियों में भाग लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं वहाँ दूसरी ओर छोटे-छोटे राज्य अपने अंशदान की राशि को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते जा रहे हैं। निःसन्देह यह स्थिति उत्साहवर्धक है, पर साथ ही साथ प्राप्त अंशदान के बराबर का अनुदान देना प्रतिष्ठान के लिए समस्या बन गयी है।

प्रतिष्ठान केवल अनुदान देनेवाले निकाय के रूप में ही कार्यशील नहीं है। यह देश में पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने से सम्बन्धित अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस वर्ष के दौरान जाने-माने विद्वानों के द्वारा पुस्तकालय संगठन से सम्बन्धित व्याख्यानो की एक श्रृंखला प्रारम्भ की गयी। ये व्याख्यान, चर्चाएँ एवं परिचर्चायें राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के प्रतिपादन में भी कुछ योगदान दे सकते हैं जो कि प्रतिष्ठान के दो प्रमुख उद्देश्य हैं।

पुस्तकालय सेवा चूँकि "राज्य विषय" है, प्रतिष्ठान को इनके लिए एक बन्धन के अन्दर कार्य करना होता है। यह राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य करती है। जिन राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं का ढाँचा अधिक सुसंबद्ध है, वे प्रतिष्ठान की सहायता को अधिक उपयोगिता के साथ प्रयोग में ला सकते हैं, वनिस्पत उन राज्यों के जिनकी पुस्तकालय सेवा उतनी सुसंबद्ध नहीं है। सम्प्रति पाँच राज्यों ने पुस्तकालय अधिनियम अपना लिया है, ये हैं—तमिलनाडु 1948, आन्ध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक 1965, महाराष्ट्र 1967 और पश्चिम बंगाल 1979। इसी कारण इन सबने अपने राज्यों में पुस्तकालय सेवा का एक सुदृढ़ जाल फैला लिया है। इसीलिए, यदि ये राज्य प्रतिष्ठान से अधिक अनुदान ले जाते हैं तो यह

आश्चर्य की बात नहीं। प्रतिष्ठान कई मंचों से पुस्तकालय अधिनियम के विचार को प्रचारित करता रहा है। पिछले वर्ष भारतीय पुस्तकालय संघ के हैदराबाद में सम्पन्न अधिवेशन में इस विषय के ऊपर प्रतिष्ठान के सहयोग से चर्चा हुई। प्रतिष्ठान और पुस्तकालय संघों की संयुक्त चेष्टाओं के कारण कई राज्यों ने पुस्तकालय अधिनियम लागू करने के प्रयत्न किये। प्रतिष्ठान उस दिन के लिए आँखें बिछाए है जब अधिकांश राज्यों में उत्तम पुस्तकालय सेवा का एक सुनियोजित ढाँचा अधिनियमों के सहयोग और समर्थन से बनेगा।

II. पुस्तक-सहायता :

पुस्तक और पाठक पुस्तकालय सेवा के दो मुख्य तत्त्व हैं। इसीलिए षष्ठवर्षीय योजना के दौरान प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता कार्यक्रम जारी रखने का निश्चय किया है। यह सहायता निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है :—

1. पुस्तकों तथा श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता की योजना।
 2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु सहायता की योजना।
 3. केन्द्रीय रूप में प्रायोजित पुस्तकालयों को सहायता।
 4. प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों को सहायता।
1. पुस्तकों तथा श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता

किसी भी पुस्तकालय की गुणवत्ता उस पुस्तकालय के पुस्तक भण्डार की सम्पन्नता तथा उससे लाभान्वित होनेवाले पाठकों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि समय-समय पर पुस्तक भण्डार का नवीकरण न किया जाय तो पुस्तकालय अपनी उपयोगिता खो बैठता है। लेकिन पुस्तकालयों

की घटती हुई वित्त व्यवस्था और पुस्तकों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण पुस्तकालयों के लिए पाठकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। कुछ राज्यों को अपवाद मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि विभिन्न स्रोतों से जितने अर्थ की व्यवस्था हो पाती है वह सब कर्मचारियों के वेतनादि में ही खर्च हो जाता है। इसलिए प्रतिष्ठान ने कुछ प्रमुख योजनाओं को जारी रखने का निश्चय किया है जिससे पुस्तकालय अपने पुस्तक भण्डार को सुदृढ़ बना सकें।

पुस्तकालयों के संगठनात्मक ढाँचे और पाठकों के स्तर को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उप विभाजन दो भागों में किया गया है—

(अ) राज्य तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता।

(ब) नगरीय तथा ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता।

पुस्तकालय सूची तथा पुस्तक सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य पुस्तकालय योजना समिति पर है। पुस्तकों के चयन के लिए प्रतिष्ठान एक सामान्य निर्देश देता है, जो परिशिष्ट 1 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए उपलब्ध वित्त को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान इस प्रकार की सूची को अनुमोदित करता है।

सूची के अनुमोदन के पश्चात् प्रतिष्ठान सम्बन्धित राज्य के अधिकारियों से पुस्तकों के क्रय तथा वितरण के लिए अनुरोध करता है। कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, केरल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम ने पुस्तकों के क्रय तथा वितरण का दायित्व ले लिया है। उत्तर प्रदेश ने अगले वर्ष से इस दायित्व को लेने का निश्चय किया है। अन्य प्रदेशों ने इस सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा प्रकट की है क्योंकि उनके पास पुस्तकों की आपूर्ति का आदेश देने तथा प्रकाशकादि के बिलों का निरीक्षण करने को पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः प्रतिष्ठान अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए यह कार्य कर रहा है। प्रथमोक्त कोटि के राज्यों से

सम्बन्धित बिलों का भुगतान आदेश की प्रतियाँ तथा संयोजकों द्वारा प्रमाणित बिल की प्राप्ति पर किया जाता है। प्रकाशकों को 75 प्रतिशत भुगतान पुस्तकों भेजे जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर तथा शेष 25 प्रतिशत पावती मिलने के बाद किया जाता है।

(क) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता :

सिक्किम तथा लक्ष्य द्वीप को छोड़कर लगभग समस्त राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली में पुस्तकालय सेवा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय (दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी) द्वारा मुलभ है। तामिलनाडु का राज्य पुस्तकालय, जिसे "कानेमरा सार्वजनिक पुस्तकालय" के नाम से भी जाना जाता है तथा महाराष्ट्र के एम० एस० टाउन हाल लाइब्रेरी को "डिलीवरी आफ बुक्स एक्ट" के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त हैं। कतिपय राज्यों यथा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तथा राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी हैं। जिला पुस्तकालयों की स्थापना अधिकतर जिलों में हो चुकी है। कुछेक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय उन जिलों में जिला पुस्तकालय के रूप में कार्य कर रहे हैं जिनमें वे स्थित हैं। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय समान्यतया सरकारी पुस्तकालय होते हैं। फिर भी, गुजरात का गुजरात विद्यापीठ, बिहार का सिन्हा पुस्तकालय तथा मध्य प्रदेश का मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्तकालय इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं। इसी प्रकार कुछ जिला पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय हैं तथा कुछ सहायता प्राप्त पुस्तकालय भी हैं। कुछ राज्यों में उप मण्डलीय स्तर के पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय पुस्तकालयों के समकक्ष माने गये हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं 382 जिला पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की है तथा उन्हें 1.76 लाख रुपये की पुस्तकें भेजी गयीं।

(ब) नगरीय एवं ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता :

जिला स्तर से नीचे के पुस्तकालयों का संगठनात्मक ढाँचा समस्त राज्यों में समरूप नहीं है। ये पुस्तकालय बहुधा प्रशासनिक एकक के रूप में भी कार्य नहीं कर रहे। साधारणतया दक्षिण में उन्हें शाखा पुस्तकालय, पश्चिम में ताल्लुक पुस्तकालय, उत्तर में तहसील पुस्तकालय, तथा पूर्व में प्रमण्डलीय पुस्तकालय कहा जाता है। इसके नीचे स्तर पर प्रखण्ड, नगर-पालिका, नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय आते हैं। इनमें से बहुत से पुस्तकालय गैर सरकारी पुस्तकालय हैं जो पंजीकृत अथवा अपंजीकृत स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा संचालित किये जाते हैं। अनुदान देने के उद्देश्य से पुस्तकालयों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वृत्ति प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य नगरों एवं ग्रामों तक पुस्तकालय सेवा को पहुंचाना है, इस प्रकार के लघु पुस्तकालयों की सहायता पर अधिक बल दिया जाता है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 3885 नगरीय एवं ग्रामीण पुस्तकालयों की सहायता कर इन्हें 27.77 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकों की आपूर्ति की।

(2) ग्रामीण पुस्तक संचय तथा चल पुस्तकालय के विकास हेतु सहायता :

यदि पुस्तकालय सेवाओं से गाँवों और छोटे शहरों में रहनेवाले बहुसंख्यक अर्द्ध शिक्षितों तथा नवसाक्षरों को लाभान्वित करना है तो इस प्रकार के उपाय करने होंगे जिनके द्वारा सरल भाषा एवं शैली में लिखी गयी सामान्य विषय और अभिरुचि की पुस्तकों को उनके द्वार पर पहुँचाया जा सके।

समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों में लीन सभी सुस्थापित पुस्तकालयों तथा ख्यातिप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत किताबें, साइकिल रिक्सा, बक्सा, थैला आदि के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता प्राप्त संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ अभी तक

पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं हो पायी, में परिवहन के सस्ते साधनों अथवा स्वयं सेवकों के द्वारा वे एक वितरण केन्द्र से दूसरे वितरण केन्द्र तक पुस्तकों का आदान-प्रदान करते रहेंगे। जिन गाँवों में पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पुस्तक वितरण केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। यदि गाँव में इस प्रकार की पुस्तकालय सेवा पहुंच गयी हो तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने में संलग्न कार्यकर्त्ताओं एवं संगठनों के सहयोग से प्रत्येक द्वार पर पुस्तकालय सेवा का संगठन किया जा सकता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल के कुछ जिला पुस्तकालयों को और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा पुस्तकालय संघ को "उद्गीर प्रकल्प" के लिए सहायता प्रदान की।

(3) केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता :

केन्द्रीय शिक्षा विभाग ने अपने युवक सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में गैर विद्यार्थी युवक (जो 15 से 35 वर्ष के उम्र के हैं) के कल्याण के लिए नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की है। नेहरू युवक केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान करेंगे तथा ग्रामीण युवक क्लब के माध्यम से पुस्तकालय सेवा को आगे बढ़ाएँगे। प्रतिष्ठान इन केन्द्रों द्वारा गठित पुस्तकालय सेवा को प्रोत्साहन देता है। भारत के बाल भवन सोसाइटी द्वारा सम्पोषित जवाहर बाल भवन देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। समाज कल्याण विभाग ने महानगरों की गन्दी बस्तियों एवं भोपड़ी में रहने वाले बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए अरविन्द बाल केन्द्रों का गठन किया है। इस योजना के अन्तर्गत उन स्वयंसेवी संस्थानों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो भारत सरकार द्वारा अनुशंसित या इससे संबद्ध हैं। इस अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने 44 नेहरू युवक केन्द्रों तथा 19 बाल भवन और बाल केन्द्रों को सहायता प्रदान की है।

(4) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों तथा जिला पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्यक्ष सहायता :

विभिन्न राज्यों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा पुस्तक-चयन के अतिरिक्त प्रतिष्ठान भी मुख्यतया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कुछ पुस्तकों का केन्द्रीय चयन देश के राज्य एवं जिला पुस्तकालयों के लिए करता है ।

इस योजना के अन्तर्गत पुस्तक का चयन एक पुस्तक चयन समिति के सहयोग से किया जाता है । प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को प्रशासनिक समिति ने पुस्तक चयन समिति का गठन करने के लिए अधिभूत किया है । पुस्तकों के केन्द्रीय चयन के लिए प्रतिष्ठान के प्रशासनिक समिति द्वारा एक मार्ग अपनाया गया है (देखें परिशिष्ट II) । आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिए 77 पुस्तकों और जिला पुस्तकालयों के लिए 9 पुस्तकों, तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों दोनों के लिए 12 पुस्तकों का चयन किया । इस योजना के अन्तर्गत लगभग 4 लाख रुपयों की सहायता दी गयी ।

III. वित्तीय सहायता :

पुस्तकों को वित्तीय सहायता देने की तीन योजनायें हैं, जिसके तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

1. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों की जिल्दसाजी तथा परिरक्षण हेतु सहायता ।
2. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन हेतु सहायता ।
3. पुस्तक संचयन हेतु सहायता ।
1. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलियों की जिल्दसाजी तथा परिरक्षण हेतु सहायता :

प्रतिष्ठान ने इस योजना को 1975-76 में अपनाया । इस योजना का उद्देश्य देश के पुराने एवं सुस्थापित पुस्तकालयों को, पत्रिकाओं तथा पाण्डुलिपियों का वायु-शुद्धिकरण, परतबन्दी, मरम्मत, जिल्दसाजी तथा परिक्षण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है । प्रतिष्ठान ऐसी दुर्लभ पुस्तकों तथा पाण्डुलिपियों को कुछ ऐसे चुने हुए पुस्तकालयों द्वारा संकलित एवं परिरक्षित करने की अनुशंसा करता है, जिनमें इनके संरक्षण की सुविधायें उपलब्ध हों । फिर भी कुछ पुस्तकालय अपनी सम्पदा से वंचित रहना पसन्द नहीं करते, अतः विभिन्न राज्य के अधिकारियों की सिफारिश पर बहुत से सार्वजनिक पुस्तकालयों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता देने की आवश्यकता है । वर्ष 1980-81 के दौरान प्रतिष्ठान ने 156 पुस्तकालयों को 0.46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की । इस प्रकार प्रतिष्ठान ने इस उद्देश्य के लिए 321 पुस्तकालयों पर 8.01 लाख रुपये व्यय किया है । (देखें परिशिष्ट—III)

2. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता :

इस योजना का उद्देश्य सेवारत पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाना एवं लोगों में पठन रुचि पैदा करना है । राज्य सरकारों के विभागों/निदेशालयों/राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, और पुस्तकालय विज्ञान के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलानेवाली संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध है ।

इस योजना के अन्तर्गत हैदराबाद में सताईसवें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के आयोजन हेतु भारतीय पुस्तकालय संघ को सहायता दी गई । इस सम्मेलन के दो मुख्य मुद्दे थे—(अ) पुस्तकालय अधिनियम, और (ब) भण्डार स्थापन । इसके अतिरिक्त “ इन्डियन एसोसियेशन आफ स्पेशल लाब्रेरिज एण्ड एन्फोरमेंशन सेन्टर्स ” को भी इस योजना के अन्तर्गत

सहायता दी गई। अक्टूबर 1980 में नागपुर में हुई नवीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए 5,000/- रुपये की राशि का अनुदान इस संस्था को दिया गया। संगोष्ठी के विचारणीय विषय थे—(अ) तकनीकी स्थानान्तरण में सूचना केन्द्रों की भूमिका, और (ब) भारत में पुस्तकालय विकास में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघों की भूमिका। इस योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के तीन जिलों, यथा—हैदराबाद, विशाखापतनम और गुंटूर के पुस्तकालय अधिकरण को भी स्नातक पुस्तकालयाध्यक्ष के पुनर्शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अनुदान दिया गया। कुल मिलाकर 170 पुस्तकालयाध्यक्षों ने इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्शिक्षण प्राप्त किया। यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में अधिक से अधिक राज्य इस योजना से लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ेंगे।

3. पुस्तक संचय हेतु सहायता :

यह एक नवीन योजना है जिसे 1979-80 वर्ष में आरम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर से नीचे के लघु पुस्तकालयों को, प्रतिष्ठान द्वारा भेजी गयी पुस्तकों की बढ़ी हुई संख्या को सुरक्षित रखने तथा प्रदर्शित करने के लिए सहायता देना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान राज्य सरकारों की सिफारिस पर पुस्तकालयों को प्रतिवर्ष दो आलमारियों/रैकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल राज्य के 320 पुस्तकालयों को और हिमाचल-प्रदेश के 47 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की। (देखें परिशिष्ट III)

4. प्रोन्नतिकारक गतिविधियाँ :

(अ) राजा राममोहनराय की 208वीं जन्म जयन्ती समारोह एवं प्रतिष्ठान के आठवें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने राजा राममोहन राय की 208वीं जन्म जयन्ती समारोह एवं प्रतिष्ठान का 8 वां स्थापना दिवस समारोह 22 मई, 1980 को

मनाया। इस अवसर पर प्रो० भवतोष दत्त ने "राजा राममोहन राय का अर्थशास्त्र" विषयक एक व्याख्यान दिया। प्रो० देवी दास भट्टाचार्य, कुलपति रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय ने समारोह की अध्यक्षता की।

(ब) भारत में वयस्क शिक्षा और पुस्तकालय प्रणाली विषयक संगोष्ठी :

"भारत में वयस्क शिक्षा और पुस्तकालय प्रणाली" विषयक संगोष्ठी का प्रतिष्ठान द्वारा आयोजन 3-4 अप्रैल 1981 को कलकत्ता में किया गया। स्व० प्रो० निहाररंजन राय ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और प्रो० भवतोष दत्त ने एक व्याख्यान दिया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के 24 व्यक्तियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। कुल 12 पत्र प्रस्तुत किये गये। वे संगोष्ठी की अनुशंसा सम्बद्ध संस्थाओं के बीच बाँटे गये।

(संगोष्ठी में प्रस्तुत किये गये पत्रों एवं अनुशंसा के लिए परिशिष्ट ५ देखें)।

(स) पुस्तकालय सेवा एवं संगठन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित व्याख्यान-माला :

अपने उद्देश्यों और मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं के पालन करने हेतु प्रतिष्ठान ने एक व्याख्यानमाला आयोजित की जिसमें पुस्तकालय सेवा और पुस्तकालय व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान देने के लिए सुविज्ञ विद्वानों एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। इस वर्ष के दौरान तीन व्याख्यान हुए जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1. प्रो० बी० एस० केशवन,
भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय पुस्तकालय, एवं निर्देशक

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक लेख्य केन्द्र, (इन्स्टॉक)

"दी गलोरी दैट दी प्रिंटेड
वर्ड वाज एण्ड कुड बी"

2. प्रो० टी. के. एस. अयंगर,
पुस्तकालयाध्यक्ष,

"लाईब्रेरी आर्किटेक्चर"

भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलोर

3. डॉ० वी० ए० कामथ.

अध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सेवा,
भाभा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बें,

“दी रोल आफ स्पेशल
लाइब्रेरिज इन ए नेशनल
इन्फोरमेशन सिस्टम, विथ
स्पेशल रेफरेन्स टू इण्डिया

आशा है कि 1981 वर्ष के दौरान यह व्याख्यानमाला पूरी हो जाएगी।
इन व्याख्यानों को पुस्तक रूप में भी प्रकाशित करने की योजना है।

—दौरे तथा सम्पर्क :

सदस्य—सचिव :

सदस्य सचिव ने भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा 9-12 जनवरी, 1981 को हैदराबाद में आयोजित सताइसवें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में भाग लिया तथा पुस्तकालय अधिनियम से सम्बन्धित परिचर्चा में भाग लिया।

सदस्य सचिव ने आन्ध्र प्रदेश के जिला ग्रन्थालय संस्थानों के अध्यक्षों तथा सचिवों की एक बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के पुस्तकालयों के मंत्री ने की, को 9 जनवरी, 1991 को हैदराबाद में सम्बोधित किया।

V. प्रशासन :

प्रतिष्ठान के वाइस सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष भारत के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति हुआ करता है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान प्रो० आर० के० दास गुप्ता, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता इस प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रहें।

प्रतिष्ठान : वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान की दो बैठकें हुईं। छठी साधारण आम बैठक 2 अप्रैल, 1981 को तथा 7 वीं वार्षिक आम बैठक 20 सितम्बर, 1980 को।

प्रो० जव्वार हुसैन और प्रार्चिया साधना सरकार के निधन के कारण प्रतिष्ठान के दो सदस्यों के स्थान रिक्त हुए ।

(प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची के लिये परिशिष्ट VI देखें)

प्रशासनिक समिति :

एक प्रशासनिक समिति कार्यों के सम्पादन में प्रतिष्ठान की सहायता करती है । पदेन सदस्यों यथा—अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, संस्कृति विभाग के प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव को मिलाकर इसके ग्यारह सदस्य हैं । इस समिति का पुनर्गठन प्रतिष्ठान की सातवीं वार्षिक आम बैठक में 20 सितम्बर 1980 को किया गया । प्रशासनिक समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले की देखभाल करती है । आलोच्य वर्ष के दौरान इसकी तीन बैठके हुई ।

(प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची के लिये परिशिष्ट VII देखें)

राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ :

राज्य पुस्तकालय योजना समिति एक अधिकृत एजेन्सी है जिसके माध्यम से ही प्रतिष्ठान विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्य करता है । ये समितियाँ न केवल राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के प्रसार तथा विकास के लिए योजना बनाती है, बल्कि इनसे यह भी आशा की जाती है कि ये प्रतिष्ठान द्वारा अपनायी गयी विभिन्न सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन तथा निरीक्षण भी करेंगी । इनसे यह भी आशा की जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अन्य विभागों का भी, जो पुस्तकालय सेवा के विकास में योगदान देते हैं, के सहायक संस्था के रूप में कार्य करेंगे । राज्य पुस्तकालय योजना समिति के निम्नलिखित कार्य हैं :

(क) राज्य, में खासतौर पर गैर महानगरीय क्षेत्रों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर एकउपयुक्त योजना तैयार करना ।

- (ख) राज्य सरकार के अंशदान एवं प्रतिष्ठान द्वारा नियमित समान स्वीकृति की राशि की प्राप्ति को सुनिश्चित करना ।
- (ग) प्रतिष्ठान से सहायता के लिए आवेदनों का संनिरीक्षण एवं अनुमोदन करना ।
- (घ) लोगों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तथा प्रतिष्ठान से निर्धारित निर्देशन का पालन करते हुए पुस्तकों का चयन करना ।
- (ङ) प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ।
- (च) संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन कर लोगों में अध्ययन रुचि के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना ।
- (छ) पुस्तकालय आन्दोलन के विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ अपनाना ।
(राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूचि के लिए परिशिष्ट 8 देखें),

कर्मचारी तथा कार्यालय :

सदस्य सचिव : डॉ० बी०पी० बरूआ सदस्य सचिव के रूप में कार्यकरते रहे ।

अनान्य :

डा० पाण्डेय एस० के० शर्मा और श्री एस० के० वसु क्रमशः क्षेत्र पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पूर्ववत् कार्य करते रहे । श्री आर० भट्टाचार्य ने 19 जुलाई 1980 को सहायक सचिव के रूप में कार्यभार संभाला । एक पुस्तकालय सहायक और एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के पदों की संख्या बढ़ाई गयी । एक अंशकालिक जमादार को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या 24 थी ।

(प्रतिष्ठान की संगठन सारिणी के लिये परिशिष्ट IX देखें ।)

कार्यालय भवन :

प्रतिष्ठान का कार्यालय 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-७०००६५ में एक किराये के भवन में स्थित है। वर्तमान स्थान कार्यालय के लिये पर्याप्त नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिष्ठान ने अपना भवन बनाने का निर्णय लिया है जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार से साल्ट लेक, कलकत्ता में जमीन भी प्राप्त कर लिया गया।

वित्तीय व्यवस्था :

प्रतिष्ठान की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था भारत सरकार करती है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 23.75 लाख रुपये प्राप्त किया, जिसमें 3.75 लाख गैर-योजना मद में और २० लाख रुपये योजना मद के अन्तर्गत प्राप्त हुए। यह रकम भारत सरकार से प्राप्त की गई। राज्य सरकारें तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन भी समतुल्य विधि की प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठान को अंशदान दिया करते हैं। प्रतिष्ठान ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समतुल्य निधि के रूप में सहायता प्रदान की। अंशदान की रकम जो 1979-80 में 19.08 लाख रुपये थी, वर्ष 1980-81 में बढ़कर 23.49 लाख रुपये हो गयी। (विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों से प्राप्त अंशदान एवं उनको दी गई सहायता राशि के विवरण के लिए परिशिष्ट X देखें)

प्रतिष्ठान के लेखा का परीक्षण केन्द्रीय महालेखा परीक्षक, कलकत्ता के द्वारा किया गया तथा अपनी 14 दिसम्बर 1981 को हुई वार्षिक आम बैठक में प्रतिष्ठान ने इसे स्वीकार किया।

(वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्रीय महालेखा परीक्षक द्वारा किये गये लेखा-जोखा का प्रमाणित विवरण के लिये परिशिष्ट XI देखें)

प्रतिष्ठान इस संतोष का दावा कर सकता है कि कुल व्यय का 9.9 प्रतिशत ही प्रशासनिक खर्च था। वर्ष के दौरान सहायता के लिए व्यय की राशि 37.12 लाख रुपये थी।

वर्ष के दौरान विभिन्न मुद्दों के अन्तर्गत खर्च की गयी राशि के विवरण के लिए परिशिष्ट XII तथा वर्ष 1972-73 से 1980-81 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों को दी गई सहायता-राशि के विवरण के लिए परिशिष्ट XIII देखें ।

नियम तथा विनियम :

प्रतिष्ठान का संविधान इसकी "संस्था ज्ञापिका एवं नियमों" में दिया गया है । अधिकारों का प्रत्यायोजन तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को सेवा विनियमों के अन्तर्गत नियमित किया जाता है । अशदायी भविष्य निधि योजना को 1975 में लागू किया गया । जो मामले उपरलिखित नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत नहीं आ सके उसका निर्णय प्रतिष्ठान और प्रशासनिक समिति के द्वारा किया जाता है ।

VI. उपसंहार—

समस्याएँ तथा अड़चने :

आलोच्य वर्ष के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रतिष्ठान को अनेक समस्याओं तथा अड़चनों का सामना करना पड़ा । एक ओर कुछ राज्यों द्वारा सहायता प्रस्ताव विलम्ब से भेजे गये तो दूसरी ओर कुछ राज्यों से इस वर्ष के दौरान अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुए । फलस्वरूप इन राज्यों से प्राप्त राशि एवं इनके लिए रखी गई राशि का पूरा उपयोग नहीं हो सका जिस कारण वर्ष के अन्त में बहुत सारा धन बचा रह गया ।

सहायता प्राप्त पुस्तकालय समूह के लिए पुस्तकों की थोक खरीद पुस्तकालय सेवा का सबल सिद्धांत है । इसके फलस्वरूप खरीद में मितव्ययिता आती है और साथ ही साथ उत्तम साहित्य के प्रकाशन को बढ़ावा मिलता है । अतः राज्य के अधिकारियों से प्रतिष्ठान का यह अनुरोध है कि सभी विभिन्न स्तरों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की सामूहिक सूची

तैयार करें। यह प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के अनुरूप भी है एवं प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक भी। लेकिन यह कार्यविधि कुछ पुस्तकालयों को पसन्द नहीं। उनका तर्क यह है कि जो पुस्तकें केन्द्रीय चयन द्वारा दी जाती हैं उनसे ऐसी पुस्तकों के भण्डार का निर्माण हो जाता है जिनकी आवश्यकता न तो पुस्तकालय को और न ही उसके पाठकों को होती है। पुस्तकों के विकेन्द्रीकृत चयन का एक प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया गया था किन्तु प्रयोग असफल सिद्ध हुआ। दो वर्षों की अवधि में भी राज्य सरकार पुस्तकों की समाकलित सूची नहीं तैयार कर सकी।

दूसरी ओर किताबों की थोक खरीद की योजना से सम्भवतः प्रकाशकों के एक वर्ग के बीच अपनी किताबों के मूल्य में असामान्य रूप से वृद्धि करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। प्रतिष्ठान को प्रकाशकों से प्रायः ऐसे पत्र मिलते रहते हैं जिनमें वे चयन की हुई पुस्तकों की कीमतें बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो गई होती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को अंकुश लगाने के लिये प्रतिष्ठान ने राज्य के अधिकारियों से अनुरोध किया है किसी भी पुस्तक का चयन करने के पहले वे उसकी भौतिक जांच कर उसकी गुणवत्ता और मूल्य की जांच पड़ताल कर लें।

उपलब्धियाँ :

विभिन्न प्रशासनिक एवं संगठनों के सहयोग असहयोग के बावजूद भी प्रतिष्ठान ने देश में पुस्तकालय सेवाओं को विकसित करने में अच्छी सफलता हासिल की। अपने प्रतिष्ठापना वर्ष 1972 से मार्च 1981 तक प्रतिष्ठान ने कुल 284.89 लाख रुपये प्राप्त किये जिसमें 161.05 लाख रुपये भारत सरकार और शेष राशि 123.84 लाख रुपये विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त किये गये।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने विभिन्न पुस्तकालयों को 37.11 लाख रुपये की सहायता दी। इस प्रकार विगत नौ वर्षों की अवधि में सहायतार्थ दी गई राशि 2.44 करोड़ तक पहुँच गई।

पिछले ती वर्षों की अवधि में प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के लगभग 13,174 पुस्तकालयों को सहायता दी। विवरण इस प्रकार हैं :

राज्य पुस्तकालय	27
जिला पुस्तकालय	411
नेहरू युवक केन्द्र	149
बाल भवन तथा बाल केन्द्र	...	43
नगर एवं ग्रामीण पुस्तकालय	11380
चल पुस्तकालय एवं ग्रामीण पुस्तक निधि केन्द्र	948
स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित एन. एस. एस. तथा अनान्य	...	216
		कुलयोग 13,174

(1972-73 से 1980-81 के दौरान सहायता प्राप्त विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की सूची के लिए परिशिष्ट XIV देखें)

प्रतिष्ठान अपने नौ वर्षों की कार्यावधि में पुस्तकालय सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में सफल सिद्ध हुआ। कुछ राज्यों ने पुस्तकालय अधिनियम के लिये कार्य आरम्भ भी कर दिया है, और कुछ राज्यों ने विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की स्थापना की है तथा कुछ राज्यों ने स्वैच्छिक संस्थानों को प्रतिष्ठान की सहायता से पुस्तकालय चलाने के लिए उत्साहित किया है। प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तकालयों को पुस्तकों का उपहार देने की प्रक्रिया ने स्वयंमेव पुस्तकालय सेवा को एक गतिशीलता प्रदान की है।

जिन पुस्तकालयों के पास पुस्तकों का एक उत्तम भण्डार है वे पुस्तक निकासी केन्द्रों की स्थापना कर अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं। बहुत से जिलों में चल और परिक्रमण पुस्तकालय सेवाओं की स्थापना की

जा रही है । देश के लगभग सभी उत्तम सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकों की जिल्द साजी और पाण्डुलिपियों के परिरक्षण के लिए प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता दी जाती है । देश के देहाती क्षेत्रों में स्थिति पुस्तकालयों को भी प्रतिष्ठान से पुस्तक सहायता के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है । अतः प्रतिष्ठान सम्पूर्ण देश में पुस्तकालय सेवा के प्रसार के लिए समुचित वातावरण तैयार करने का दावा कर सकता है । आवश्यकता तो इस बात की है कि आने वाले वर्षों में इस वातावरण और प्रसार की गतिशीलता को बनाए रखा जाय ।



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

परिशिष्ट

राज्यों में पुस्तकालयों एवं पुस्तक चयन के लिए निर्देश

1. प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे शहरों और गाँवों में पुस्तकालय आन्दोलन का प्रसार करना और लोगों की अध्ययन रुचि को विकसित करना है। सहायता के लिए पुस्तकों और पुस्तकालयों के चयन के समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
2. विभिन्न विषयों की पुस्तकों के चयन के लिए प्रतिष्ठान ने कोई मानदण्ड नहीं निश्चित किया है, क्योंकि सभी राज्यों की समस्याएँ, यथा— क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न विषयक साहित्य की उपलब्धि, साक्षरता की सीमा, पुस्तकालय सेवा व विकास तथा जन मानस की अध्ययन रुचि—भिन्न है। फिर भी यह सुझाव दिया जाता है कि 25 प्रतिशत पुस्तकों का चयन बाल साहित्य, नवसाक्षरों के साहित्य और लोकप्रिय विज्ञान से किया जाना चाहिए। अन्य कोटियों की पुस्तकों के चयन के लिए राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ अपना मान दण्ड बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए यह अभीष्ट है कि राज्य की क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त 20 प्रतिशत पुस्तकों का चयन अंग्रेजी, हिन्दी, या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों में किया जाय। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुरस्कृत पुस्तकों के अनुवाद को भी चयनित पुस्तकों की सूचि में स्थान मिलना चाहिए।
4. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की बहुत सी संस्थाएँ उत्तम साहित्य का प्रकाशन करती हैं, अतः यह भी आशा की जाती है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों, यथा—प्रकाशन विभाग, साहित्य अकादमी,

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, एन. सी. इ. आर. टी., राज्य साहित्य/ग्रन्थ अकादमी आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का कुछ प्रतिशत तक चयन किया जाए।

5. उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्य पुस्तकालय योजना समिति द्वारा पुस्तकों का चयन किया जायगा। राज्य पुस्तकालय योजना समिति अगर आवश्यक समझे तो एक उप-समिति का भी गठन कर सकती है, जो पुस्तक चयन समिति के नाम से जानी जाएगी। विषय-वेत्ता भी समिति या उप-समिति की सहायता के लिए सम्मिलित किये जा सकते हैं। पुस्तक चयन में पुस्तकालयाध्यक्षों की सहायता भी अपेक्षित है।
6. पुस्तकों का चयन उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के बाद ही किया जाना चाहिए और चयनित पुस्तकों को नमूने की प्रति के रूप में उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में मूल्य सम्बन्धी किसी विवाद का निपटारा किया जा सके। अगर नमूने की प्रति पाना सम्भव नहीं हो तो चयनकर्त्ता दूसरे पुस्तक चयन उपकरणों, यथा-ख्याति प्राप्त प्रकाशकों की नवीनतम सूची, स्तर के पत्रों तथा मैगजीन में प्रकाशित पुस्तक समीक्षा आदि की सहायता से पुस्तकों का चयन कर सकते हैं।
7. पुस्तकों के मूल्य पर विचार करते समय अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है। पुस्तक प्रस्तुति के लिए किये गये विज्ञापन एवं अधिसूचना में यह सही और स्पष्ट रूप में इंगित होना चाहिए कि पुस्तकों पर छपे मूल्य ही सही मूल्य माने जाएंगे तथा पुस्तकों की प्रस्तुति से एक वर्ष तक पुस्तकों का वही मूल्य सही माना जाएगा। पुस्तक के चयन के पश्चात् कीमत बढ़ाने के किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। उन पुस्तकों, जिन पर मूल्य नहीं छपा है या वैसे पुस्तकें जिनके मूल्य में चिप्पी लगाकर या मुहर लगाकर बढ़ोत्तरी की गई है, का चयन नहीं किया जाएगा। पुस्तक-क्रय-योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के चयन के लिए

किये गये निवेदन के समय कुछ प्रकाशकों द्वारा पुस्तक प्रस्तुत करने के समय मूल्य बढ़ाने की नीति अपनायी जाती है। इस अनुचित विचार-धारा के नियंत्रण के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकों का चयन करते समय उनके मूल्य के ऊपर भी अवश्य विचार किया जाए। यदि चयनकर्त्ता को यह आभास हो कि पुस्तक का मूल्य अधिक है तो विशेषकर ऐसी लोकप्रिय पुस्तक का चयन नहीं कर सकते हैं। “अधिकाधिक लोगों को कम कीमत पर उत्तम पाठ्य सामग्री” उपलब्ध कराना ही चयन कर्त्ता के लिए निदेशक सिद्धांत होना चाहिए।

8. प्रतिष्ठान पुस्तको का क्रय श्रेणीबद्ध छूट की दर के आधार पर करता है, जो निम्नलिखित है :

1— 10	प्रतियाँ	— —	10 प्रतिशत
11— 25	”	”	15 प्रतिशत
26—100	”	”	20 प्रतिशत
101—200	”	”	25 प्रतिशत
201—500	”	”	30 प्रतिशत
501— ऊपर	”	”	35 प्रतिशत

यदि सम्बन्धित संस्था यह प्रमाणित करे कि वे छूट की एक निर्धारित दर से अधिक छूट किसी भी क्रेता को नहीं देते तो उनके मामले में छूट की दर पर विशेष विचार किया जा सकता है। पुस्तक सूची तैयार करते समय छूट की दर को भी विचार में रखा जाना चाहिए। उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए एक अनुपातिक सूची तैयार की जानी चाहिए। प्रधान सूची के साथ एक पूरक सूची भी संलग्न होनी चाहिए जिसमें पुस्तकों को उनकी प्राथमिकता के क्रम में रखा जाना चाहिए।

9. पुस्तक सूची तैयार करने के समय अपेक्षित पुस्तक के सम्बन्ध में विवरण, जैसे—शीर्षक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम व पता, विषय,

प्रकाशन वर्ष, संस्करण, सजिल्द या अजिल्द और मुद्रित मूल्य विस्तृत रूप से लिखा होना चाहिए। एक समान पुस्तकों की एक या दो सूचियाँ, एक जिला स्तरीय पुस्तकालयों के लिए एवं एक छोटे शहरी तथा ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए तैयार की जा सकती हैं। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की सूची प्रकाशकानुसार होनी चाहिए। पुस्तकों का विवरण अंग्रेजी या देवनागरी लिपि में अभिलिखित किया जाना चाहिए। पुस्तक सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर संयोजक या प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए जिससे पुस्तकों के चयन की प्रमाणिकता इंगित हो सके।

10. शहरी एवं ग्रामीण पुस्तकालयों के चयन के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन पुस्तकालयों का चयन किया गया है वे वस्तुतः कार्यरत हैं। अनिवंघित पुस्तकालयों का चयन सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए। सूची में चयन किये गये पुस्तकों का पूरा नाम और पता होना चाहिए। चूँकि प्रकाशक ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तकों की सीधी आपूर्ति करने में अनिच्छा व्यक्त करते हैं, उन पुस्तकालयों के लिए वितरण केन्द्रों की सूचना भी दी जानी चाहिए।

पुस्तकों के केन्द्रीय चयन के लिए निर्देश :

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों, जिला पुस्तकालयों और प्रतिष्ठान द्वारा चयनित इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को समय-समय पर उपयुक्त पठन सामग्री, जो सामान्यतः उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती है, देकर उनकी सहायता करना है।
2. पुस्तकों का चयन एतदर्थ उपलब्ध राशि के अन्तर्गत ही करना चाहिए।
3. चूँकि हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का चयन प्रतिष्ठान की एक अन्य योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है, अतः इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान मुख्यतया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तकों का ही चयन करेगा। फिर भी, यदि प्रचुर मात्रा में राशि उपलब्ध हो तो सरकारी और अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के चयन पर विचार किया जा सकता है।
4. विदेशों में प्रकाशित पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों और सौ रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तकों का चयन सामान्यतः नहीं किया जाएगा।
5. प्रतिष्ठान से सम्बन्ध अधिकारियों और सदस्यों द्वारा प्रकाशित, सम्पादित या लिखित पुस्तकों का चयन उनके कार्यकाल की अवधि में इस योजना के अन्तर्गत नहीं किया जायगा।
6. अधिक मूल्य की पुस्तकों और उच्च स्तरीय पुस्तकों का चयन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के लिये किया जायगा तथा कम कीमत की सामान्य

रूचि की पुस्तकों का चयन जिला पुस्तकालयों के लिए किया जायगा ।
अगर प्रशासनिक समिति आवश्यक निर्देश दे तो किसी पुस्तक का चयन
विशेष श्रेणी के पुस्तकालयों के लिए भी किया जा सकता है ।

7. पुस्तकों का चयन अध्यक्ष द्वारा गठित एक पुस्तक चयन समिति द्वारा
किया जाएगा । समिति में 5 से 7 सदस्य होंगे, जो पुस्तकों के बारे में
जानकारी रखते हों । एक पुस्तकालयाध्यक्ष को भी इस समिति के अन्तर्गत
शामिल किया जा सकता है । इस समिति के संयोजक सदस्य-सचिव
होंगे । समिति की कार्यावधि एक वर्ष की होगी लेकिन पुनः बढ़ायी
जा सकती है । समिति के गठन की सूचना इसके गठन के बाद होने
वाली प्रशासनिक समिति की बैठक में दी जाएगी ।
8. पुस्तक चयन समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी । पहली बैठक में
सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रकाशकों को और दूसरी बैठक में गैर-सरकारी
प्रशासकों को रखा जाएगा । भारत सरकार से/द्वारा भेजी गयी
पुस्तकों पर दोनों बैठकों में विचार किया जा सकता है । दोनों
कोटियों की पुस्तकों के चयन के लिए समान राशि का वितरण किया
जाएगा ।
9. इस योजना से अधिकांश प्रकाशक परिचित हैं, इसलिये प्रतिष्ठान द्वारा
पुस्तकों के आमंत्रण के लिए कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा ।
प्रतिष्ठान एवं पुस्तक चयन समिति के सदस्यों द्वारा अच्छी पुस्तकों के
चयन के लिए सुझाव दिये जा सकते हैं । एक बैठक में एक सदस्य दो
से अधिक पुस्तकों के लिए सुझाव नहीं दे सकता ।
10. सामान्यतः पुस्तकों का चयन प्रत्यक्ष जांच के बाद ही किया जाएगा ।
यदि प्रतिष्ठान का कोई सदस्य/पुस्तक चयन समिति का सदस्य या
केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी किसी पुस्तक के लिए अनुशंसा करते
हैं तो उन्हें चाहिए कि वे सम्बद्ध प्रकाशक को सम्बन्धित पुस्तक जमा

करने की सलाह दे दें या स्वयं पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लिख भेजें। कार्यालय भी पुस्तक की एक प्रति प्रकाशक से प्राप्त करने की चेष्टा करेगा।

1. सामान्यतः एक बैठक में विचार हेतु एक प्रकाशक की पांच से अधिक पुस्तकों स्वीकार नहीं की जायेंगी। जिन्होंने चयन के विचार के लिए पुस्तक जमा किया था उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि वे चयन नहीं की गई पुस्तकों को अपने खर्च पर वापस ले जायें। जब तक पुस्तक खरीदगी की सभी कार्यविधियां समाप्त नहीं हो जाती तबतक चयनित पुस्तकों को कार्यालय में ही रखा जाएगा।
2. कार्यालय में रखी गई पुस्तकों या तो कार्यालय पुस्तकालय के भंडार में सम्मिलित कर ली जाएगी अथवा अध्यक्ष की अनुमति से किसी सार्वजनिक पुस्तकालयों को दानस्वरूप प्रदान कर दी जाएगी।
3. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पुस्तकों भी पुस्तक चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। स्वीकृत या अस्वीकृत पुस्तक सूची प्रशासनिक समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायगी। प्रशासनिक समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
4. पहली एक बैठक में चयन नहीं की गयी पुस्तकों को उसके बाद वाली दो बैठकों में पुनर्विचार के लिए नहीं रखा जाएगा।
5. जहाँ तक सम्भव है पुस्तकों का विभिन्न विषयों से निम्नलिखित अनुपात में चयन किया जायगा।

1. साहित्य	20 प्रतिशत
2. समाज शास्त्र	30 प्रतिशत
3. दर्शन, धर्म और कला	15 प्रतिशत
4. विज्ञान	20 प्रतिशत
5. सामान्य और सन्दर्भ पुस्तकों	15 प्रतिशत

वर्ष 1980-81 के दौरान जिल्दसाजी, अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों व दुर्लभ पाण्डु लिपियों से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का विवरण :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सहायता दिये गये पुस्तकालयों की संख्या	देय राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1,500
2.	विहार	1	1,500
3.	हरियाणा	1	2,500
4.	केरल	28	10,700
5.	महाराष्ट्र	2	7,500
6.	उड़ीसा	15	10,500
7.	राजस्थान	1	5,000
8.	उत्तर प्रदेश	1	2,500
9.	पश्चिम बंगाल	107	5,350
		कुल	47,050 रुपये

टिप्पणी : वर्ष 1980-81 के दौरान जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, पालघाट, केरल का 1000 रुपये का एक चेक रद्द कर दिया गया।

वर्ष 1980-81 के दौरान "पुस्तक संचयन हेतु सहायता" के अन्तर्गत दी गई सहायता राशि का विवरण :

1.	हिमाचल प्रदेश	47	55,648
2.	केरल	320	1,60,000
3.	उड़ीसा	80	32,000
		कुल योग	2,47,648 रुपये

वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न योजनाओं में शामिल विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण :

क्रम संख्या	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	अनमंडलीय/प्रखण्ड/तालुका क्षेत्रीय/ग्रामीण पुस्तकालय	बाल पुस्तकालय	पुस्तक संचयन केन्द्र	परिदृश्य एवं लिटररीसोर्सि हेतु सहायता प्राप्त पुस्तकालय	तेरहे के कर्क केन्द्र	जवाहर बाल भवन तथा जवाहर बाल केन्द्र	केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	1	30	478	32	—	1	—	—	542
2	आसाम	1	9	—	—	—	—	—	2	12
3	बिहार	1	31	549	—	—	1	—	—	582
4	गुजरात	1	18	500	—	—	—	—	1	520
5	हरियाणा	1	6	43	—	—	1	—	4	55
6	हिमाचल प्रदेश	1	11	36	—	47	—	1	1	97
7	जम्मू एवं कश्मीर	1	19	—	—	—	—	—	—	20
8	कर्नाटक	1	19	574	—	—	—	—	1	595
9	केरल	1	11	7	6	320	27	1	4	377
10	मध्य प्रदेश	1	29	—	—	—	—	1	—	31

11

376

6

3

24

312

9

41

5

577

32

396

262

7

26

1

2

—

1

11

26

50

10

9

8

7

6

5

4

3

1 2

11 महाराष्ट्र

12 मणिपुर

13 मेघालय

14 नागालेण्ड

15 उड़ीसा

16 पंजाब

17 राजस्थान

18 सिक्किम

19 तमिलनाडु

20 त्रिपुरा

21 उत्तर प्रदेश

22 पश्चिम बंगाल

23 अण्डमन निकोर

24 अरुणांचल प्रदेश

25 चण्डीगढ़

26 दादरानगर हवेली

27 दिल्ली

28 गोवा, दमन दीव

29 लक्षद्वीप

30 मिजोरम

31 पाण्डिचेरी

27

382

3885

447

156

44

19

कुलजोग

4998

भारत में प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय व्यवस्था विषयक संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्रों को सूची तथा संगोष्ठी की अनुशंसाएँ :

प्रस्तुत/वितरित पत्रों की सूची :

1. पब्लिक लाईब्रेरी सिचूएशन इन इन्डिया —डॉ० बी० पी० बरुआ
2. एडल्ट इजूकेशन इन इन्डिया--
सम एजपेक्ट्स —डॉ० एन० ए० अन्सारी
3. नेशनल एडल्ट इजूकेशन प्रोग्राम
एण्ड इट्स इम्प्लीमेन्टेशन एण्ड दी
निड आफ टेक्स्ट बुक लाईब्रेरिज
फोर दी ननफोरमल इजूकेशन
आफ दी न्यलिटरेट्स —श्रीमती साधना सरकार (स्व)
— श्री सत्येन मैत्र
4. लर्निंग मटेरियलस इन दी एन.ए.ई.पी
5. आडियो-विजुअल मटेरियलस फोर
एडल्ट इजूकेशन एण्ड लाईब्रेरी
6. इजूकेशन टेक्नोलोजी एण्ड सिस्टम
डिजाइन फोर दी प्रोडक्शन आफ
इजूकेशन मटेरियलस फोर एडल्ट
इजूकेशन प्रोग्राम—ए केस स्टडी. —श्री बी० बी० मोहन्ती
7. दी रूरल लाईब्रेरी ऐज कम्युनिटी सेन्टर —प्रो० एम० एम० चौधरी
8. रोल आफ मोबाइल लाईब्रेरी सर्विस/
बुक डिपॉजिट सेन्टरस इन प्रोमोटिंग
रीडिंग हैबिट एमण्ग दी पिपुल —प्रो० आर० के० दासगुप्ता
9. लाईब्रेरी डराइभ थ्रू इन्फोरमेशन सर्विसेज —श्री एस० एस० चक्रवर्ती
—श्री एस० के० गांगुली
10. एडल्ट इजूकेशन सेन्टर्स एण्ड रूरल
लाईब्रेरिज —श्री पी० एन० पनीकर
11. फोलो-अप एण्ड कन्टिन्यूइंग इजूकेशन
सर्विसेज इन नेशनल एडल्ट इजूकेशन प्रोग्राम —श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी
12. एडल्ट इजूकेशन एण्ड लाईब्रेरीज —श्री बी० एन० तिवारी

अनुशासार्थे :

1. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों के अधीन कार्यरत पुस्तकालयों तथा वयस्क शिक्षा केन्द्रों के कार्य एक दूसरे के पूरक हैं । यदि वयस्क शिक्षा केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य साक्षरता तथा पठन-पाठन की रुचि को बढ़ाना है, तो गाँवों, शहरों और यातायात के साधनों से दूर स्थित स्थानों में रहने वाले बहुसंख्यक कम पढ़े लिखे लोगों के बीच पाठ्य तथा दृश्य भव्य सामग्रियों का प्रचार करके ही साक्षरता और गणन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण पुस्तकालय सेवा का यह एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए ।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा और पुस्तकालय सेवा के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि नियोजन, प्रशासन और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को अफसरशाही से दूर रखा जाय और इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थान तथा अन्य विकासवादी स्वैच्छिक संगठन इसके साथ अधिक सम्बद्ध रहें । प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवा को बढ़ाने वाले अधिकारियों को एक ऐसे आदर्श की स्थापना करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निचले स्तर के विभिन्न संगठनों के बीच तालमेल बना रहे ।

3. पुस्तकालय आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए केवल पारस्परिक दृष्टि से नहीं अपितु समुदाय की बढ़ती हुई शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से भी समुचित नीतियों का निर्धारण करना होगा । राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की विशिष्ट स्थिति में है । प्रतिष्ठान को इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसको और सशक्त बनाया जाये तथा इसके स्रोतों में बढ़ोत्तरी की जाये ।

4. वयस्क शिक्षा के कार्यक्रमों को लागू करने वाले संगठनों को, उपलब्ध पुस्तकालयों के साधन एकक के रूप में प्रयोग करने की संभावना के ऊपर शोधाति-शीघ्र विचार कर उससे लाभ उठाना चाहिये जिससे कि वयस्क और अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों को एक समर्थन सेवा मिल सके । जहाँ तक संभव हो, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पुस्तकालयों को सामुदायिक संस्थाओं तथा विद्यालय प्रणाली के गत्यात्मक सहयोग से चल पुस्तकालय इकाईयों तथा गृह सेवा इकाईयों का संगठन करना चाहिए ।

प्रतिष्ठान की सदस्यों की सूची

1. प्रो० आर० के० दासगुप्ता
अध्यक्ष,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता-700068.
2. श्री सरण सिंह
सचिव,
भारत सरकार,
समाज कल्याण विभाग,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. श्री मीर नसरुल्लाह
अपर सचिव,
भारत सरकार, संस्कृति विभाग,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन
वित्तीय सलाहकार,
भारत सरकार,
समाकलित वित्त खण्ड,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

5. संयुक्त सचिव
भारत सरकार,
वयस्क शिक्षा खण्ड,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
6. श्री ए० एल० डायस
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत,
नई दिल्ली ।
7. डॉ० आर० एस० केलकर
सचिव,
साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन,
नई दिल्ली ।
8. श्री बी० एल० भारद्वाज
अध्यक्ष,
भारतीय पुस्तकालय संघ,
नई दिल्ली ।
9. प्रो० विद्युभूषण दास
भूतपूर्व निदेशक, लोकशिक्षा,
उड़ीसा, ए-315, शहदनगर,
न्यू कैपिटल, भुवनेश्वर, पुरी, उड़ीसा ।
10. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन
भौतिकी प्राध्यापक,
एन. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली ।

11. प्रो० एस० मकबूल अहमद
अध्यक्ष,
केन्द्रीय एसियन अध्ययन केन्द्र,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर ।
12. सिस्टर हेलेन विनसेंट
प्रधानाचार्या,
स्टेलामेरिस महाविद्यालय,
मद्रास ।
13. स्व० जब्बार हुसैन
10, वाटर टावर रोड,
पटना, बिहार ।
14. स्व० साधना सरकार
प्रधानाचार्या,
राममोहन महाविद्यालय
कलकत्ता ।
15. सुश्री लता पतंकर,
वरिष्ठ प्राध्यापिका,
मूलजी जेटा महाविद्यालय,
जलगाँव, महाराष्ट्र ।
16. श्री पी० एन० पनिकर
केरल अनीपचारिक शिक्षा एवं
विकास संघ,
त्रिवेन्द्रम ।
17. श्री जे० सी० मेहता
निदेशक,
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
दिल्ली ।

18. श्री एन० डी० बागड़ी
अध्यक्ष तथा राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
बंगलोर ।
19. श्री राम गोस्वामी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गोहाटी, आसाम ।
20. श्री बी० एन० तिवारी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
21. डॉ० बी० पी० बरूआ
सदस्य सचिव,
राजा राममोहन ार्य पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता ।



प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

1. प्रो० आर० के० दासगुप्ता
अध्यक्ष,
राजा राममोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता ।
2. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन
वित्तीय सलाहकार,
भारत सरकार, समाकलित वित्त खण्ड,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
3. श्री एन० डी० गुप्ता
अवर सचिव,
भारत सरकार,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय,
पुस्तकालय खण्ड,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. श्री बी० एल० भारद्वाज
अध्यक्ष,
भारतीय पुस्तकालय संघ, नई दिल्ली ।
5. श्री एन० डी० बागड़ी
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
बंगलोर ।

6. श्री जे० सी० मेहता
भूतपूर्व निदेशक
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली ।
7. प्रो० विद्युभूषण दास
भूतपूर्व जन शिक्षा निदेशक,
ए-315, शहीद नगर,
न्यू कैपिटल, भुवनेश्वर, पुड़ी, उड़ीसा ।
8. प्रो० ए० के० जल्लालुद्दीन
भौतिकी प्राध्यापक,
एन. सी. ई. आर. टी.,
नई दिल्ली ।
9. साधना सरकार, (स्व०)
प्रधानाचार्य,
राम मोहन महाविद्यालय,
कलकत्ता ।
10. डॉ० बी० पी० बरुआ
सदस्य सचिव,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
कलकत्ता ।



राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश :
श्री सी० गोपीनाथ राव
निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश ।
2. आसाम :
श्री राम गोस्वामी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गौहाटी आसाम ।
3. बिहार :
श्री सम्पत कुमार सिंह
पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार,
सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना-1.
4. गुजरात :
श्री एच० जे० उपाध्याय
पुस्तकालय क्वैरेटर (गुजरात राज्य)
सेक्टर नं० 21, (ग्यामखाना के नजदीक)
गाँन्धी नगर-382121, गुजरात ।
5. हरियाणा :
जन शिक्षा निदेशक, कालेज,
चण्डीगढ़ ।

6. हिमाचल प्रदेश :

श्री एन० एस० बावा,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय
सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

7. जम्मू एवं काश्मीर :

श्री पीरजदा अली मोहम्मद
निदेशक,
पुस्तकालय शोध एवं संग्रहालय,
जम्मू और काश्मीर सरकार,
पुराना सचिवालय, श्रीनगर ।

8. कर्नाटक :

श्री पी० के० पाटिल
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
सेसादरी अययर स्मारक भवन,
कब्बन पार्क, बंगलोर-560001 ।

9. केरल :

श्री पी० भी० बार्गेस
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-695001.

10. मध्य प्रदेश :

श्री एस० सी० द्विवेदी
प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष,
जन शिक्षा निदेशालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश ।

11. महाराष्ट्र :

श्री के० एम० उजलम्बकर
निदेशक,
पुस्तकालय निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य,
टाउन हाल, बम्बई ।

12. मणिपुर :

श्री एल० नवकिशोर सिंह
प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
मणिपुर, इम्फाल ।

13. मेघालय :

जन शिक्षा निदेशक,
शिलोंग, मेघालय ।

14. नागालैण्ड :

श्री एलेमचिवा आव,
निदेशक, कला एवं संस्कृति,
कोहिमा, नागालैण्ड ।

15. उड़ीसा :

श्री ए० एन० चटर्जी,
अवर सचिव उड़ीसा सरकार,
पर्यटन, खेलकूद और संस्कृति विभाग,
भुवनेश्वर ।

16. पंजाब :

डॉ० के० एस० कन्ग
सहायक निदेशक, (सांस्कृतिक विभाग)
जन शिक्षा निदेशालय, सी-पंजाब,
एस. सी. ओ. न.-66-67
सेक्टर 17 डी, चण्डीगढ़, पंजाब ।

17. राजस्थान :
श्री देवेन्द्रपाल सिंह,
उप निदेशक, समाज शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।
18. सिक्किम :
श्री मती जी० ग्येम्त्सो
विशेष कार्य पदाधिकारी,
सांस्कृतिक विभाग,
कम्यूनिटी सेन्टर पुस्तकालय,
गंगटोक-737101.
19. तमिलनाडु :
निदेशक,
सार्वजनिक पुस्तकालय,
तमिलनाडु, इगमोर, मद्रास-600008.
20. त्रिपुरा :
श्री बी० गुप्ता
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
वीरचन्द्र राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
त्रिपुरा सरकार, अगस्तल्ला-799001.
21. उत्तर प्रदेश :
श्री आर० के० मेहरोत्रा,
विशेष कार्य पदाधिकारी, (पुस्तकालय),
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग,
38-दरबारी लाल शर्मा मार्ग,
सचिवालय भवन, लखनऊ ।
22. पश्चिम बंगाल :
डॉ० एस० के० गुप्ता
पुस्तकालय निदेशक,
पश्चिम बंगाल सरकार,
राईटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता-700001.


केन्द्र शासित प्रदेश

1. अण्डमन एवं निकोबार द्वीपसमूह :
शिक्षा निदेशक,
अण्डमन एवं निकोबार द्वीप समूह
प्रशास,
पोर्ट ब्लेयर, अण्डमन ।
2. अरुणांचल प्रदेश :
श्री टी० रतन,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय पुस्तकालय,
अरुणांचल प्रदेश सरकार,
नभा ईटानगर, अरुणांचल प्रदेश ।
3. चण्डीगढ़ :
श्रीमती रजिन्दर चोपड़ा
पुस्तकालयाध्यक्ष,
टी० एस० केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय,
चण्डीगढ़ ।
4. दादरा और नगर हवेली :
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग,
प्रशासक का कार्यालय,
दादरा और नगर हवेली, सिलवासा ।
5. दिल्ली :
शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय, दिल्ली ।

6. गोआ दमन और द्वीव :
श्री भी० वी० हुवली,
क्वूरेटर, गोआ, दमन और द्वीव सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय, पाण्जी, गोआ ।
7. लक्ष द्वीप :
श्री सी० एच० कोया,
समाज कल्याण पदाधिकारी,
लक्षद्वीप केन्द्रशासित, प्रशासन,
समाज कल्याण एवं संस्कृति विभाग,
द्वारा/कावरती, प्रधान डाकघर-कालीकट
8. मिजोरम :
श्री थनसिया,
शिक्षा उपनिदेशक, एजोल, मिजोरम ।
9. पाण्डिचेरी :
श्री पी० आर० रामनाथन
शिक्षा निदेशक,
पाण्डिचेरी-605001.



संगठन सारिणी



वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त अंशदान एवं दी गई
सहायता राशि का विवरण

ज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	प्राप्त अंशदान	दी गई सहायता	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	2,00,000.00	3,58,837.17	पर्याप्त बिल नहीं प्राप्त हुए।
बिहार	2,00,000.00	2,48,430.56	"
गुजरात	—	1,50,000.00	पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के विरुद्ध सहायता प्रदान की गई।
हरियाणा	—	64,888.45	"
हिमाचल प्रदेश	50,000.00	1,58,050.00	पिछले वर्ष के विरुद्ध आंशिक सहायता दी गई।
कर्नाटक	2,00,000.00	4,92,624.86	"
केरल	2,20,000.00	1,86,300.72	आदेश निर्गत किये गये परन्तु बिल प्राप्त नहीं हुए।
मध्य प्रदेश	2,00,000.00	—	"

महाराष्ट्र	2,00,000.00	3,06,752.70	पर्याप्त विल प्राप्त नहीं हुए।
मेघालय	—	1,007.50	पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के विरुद्ध सहायता दी गई।
नागालैण्ड	12,000.00	8,821.79	पर्याप्त विल प्राप्त नहीं हुए।
उड़ीसा	2,00,00.00	3,88,788.18	”
राजस्थान	1,24,000.00	1,49,810.56	पर्याप्त विल प्राप्त नहीं हुए।
सिक्किम	3,000.00	—	प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं हुए।
तमिलनाडू	2,00,000.00	60,286.75	”
उत्तर प्रदेश	2,00,000.00	5,34,845.03	देय सहायता में पिछले वर्ष की राशि भी सम्मिलित है।
पश्चिम बंगाल	3,00,000.00	6,440.10	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।
अण्डमान	—	14,579.88	पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के विरुद्ध सहायता प्रदान की गई।
लक्षद्वीप	—	2,970.00	विकासधीन (सेत को सहायता दी गई।
मिजोरम	40,000.00	54,585.41	पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।
पाण्डिचेरी	—	30,205.33	पिछले वर्ष में प्राप्त अंशदान के विरुद्ध सहायता दी गई।

प्रतिष्ठान के 1980-81 वर्ष के परीक्षित लेखा का विवरण
(i) 1-4-1980 से 31-3-81 तक की अवधि के आय एवं व्यय लेखा

आय		व्यय	
₹	₹	₹	₹
1—प्रशासन			
1. कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता			
695.48		2,31,838.58	
10,64,035.32		4,333.00	
		<u>2,27,505.58</u>	
1,89,511.40	12,54,242.20	1,325.00	
	500.00	<u>2,26,180.58</u>	
		26,792.10	
2—राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान			
			2,458.51
			32,794.29
			31,768.00
			48,541.20

9. उड़ीसा	2,00,000.00
10. मध्यप्रदेश	2,00,000.00
11. राजस्थान	1,24,000.00
12. सिक्किम	3,000.00
13. तमिलनाडु	2,00,000.00
14. उत्तर प्रदेश	2,00,000.00
15. पश्चिम बंगाल	3,00,000.00

3—भारत सरकार से प्राप्त अनुदान

योजना	20,00,000.00
गैर योजना	3,75,000.00

4—विविध प्राप्ति

1. बैंक ब्याज	25,522.73
2. गैरेज भाड़ा	1,225.00
3. पुराने श्रद्धारों की बिक्री	459.00
4. यात्रा भत्ता की वापसी	3,099.00
5. बाढ़ अग्रिम की वापसी	437.00
6. त्योहार पेशगी की वापसी	360.00
7. साइकिल किस्त की वापसी	176.00

7. अक्काश केतन तथ पेंशन अंशदान	5,757.00
8. स्टाफ कार का रखरखाव	13,852.20
9. अंशदायी भविष्यनिधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	11,744.96
10. अग्निवार्य जमा	936.20
11. अग्रिम :	
(अ) साइकिल	825.00
(ब) त्योहार	3,600.00
12. कर्मचारी कल्याण	1,000.00
13. लेखा परीक्षा शुल्क	5,535.00
14. आयकर जमा	4,333.00
15. व्यवसायिक कर जमा	1,325.00

23,49,000.00

23,75,000.00

4,17,463.04

2. पुस्तकालय सेवा का प्रसार

अ) अविच्छिन्न योजनाएँ

1. पुस्तकों, पठनीय एवं दृश्यात्मक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डार बनाने हेतु सहायता :

- क) जिला एवं उपमण्डलीय स्तर के पुस्तकालयों का सुदृढीकरण

1,75,982.83

	र०	पै०	र०	पै०	र०	पै०
8. श्रवकाश वेतन की वापसी	569.40					
9. साइकिल पेशगी पर ब्याज की प्राप्ति	10.00					
10. अनिवार्य जमा योजना	936.20					
11. अंशदायी भविष्यनिधि की जन्ती	3,462.00					
12. अतिरिक्त बोनस एवं ब्याज की जन्ती	261.00					
13. अन्य	<u>7,038.25</u>					
			43,555.58			
5. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्यनिधि लेखा :						
प्रारम्भिक शेष						
हाथ रोकड़	1,977.32					
बैंक रोकड़	<u>50,411.38</u>					
			52,388.70			
ख) ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता					27,77,227.99	
ग) केन्द्रीय रूप से पोषित पुस्तकालयों को सहायता					23,409.71	
घ) पुस्तकों के केन्द्रीय चयन द्वारा राज्य तथा जिला पुस्तकालयों को सहायता					4,00,906.66	
2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्र तथा चल पुस्तकालयों के विकास हेतु सहायता					3,058.77	
3. पुराने एवं सुदृढ़ पुस्तकालयों को दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं, पाण्डु-लिपियों की जिल्दसाजी एवं प्रक्रिया परिरक्षण, सूचीकरण एवं वर्गीकरण हेतु सहायता					46,050.00	

कर्मचारियों का अंशदान	12,414.00	ब) नई योजनाएँ	
पेशगी की वापसी	2,728.00	4. पुस्तक संचयन हेतु पुस्तकालयों को सहायता	2,47,648.00
अंशदायी भविष्यनिधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	11,744.96	5. पुस्तकालय कर्मशालाओं, संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के लिए सहायता	<u>37,395.40</u>
बैंक से प्राप्त ब्याज	<u>1,722.04</u>		<u>37,11,679.36</u>
	28,609.00	स) सुरक्षा जमा की वापसी	561.35
		3. प्रतिष्ठान के प्रकाशन :	
		1. विविध प्रकाशन	<u>6,197.43</u>
		4. पूंजीगत खर्च :	
		1. उपस्कर एवं असबाब	8,692.33
		2. कार्यालय भवन निर्माण भूमि की खरीदगी	<u>72,240.00</u>
		5. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्यनिधि खाता :	80,932.33

	₹	₹	₹	₹
कर्मचारियों को पेशगी	2,934.00			
कर्मचारियों द्वारा				
अंतिम निकासी	831.00			
राजा राममोहन राय				
पुस्तकालय प्रतिष्ठान में				
प्रतिष्ठान के अंशदान				
की वापसी	<u>3,723.00</u>			7,488.00
6. राजा राममोहन राय				
पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी)				
अंशदायी भविष्यनिधि के				
लेखा का अन्तः शेष :				
हाथ रोकड़	3,530.96			
बैंक रोकड़	<u>69,978.74</u>			73,509.70

7. अन्तः शेष :

हाथ रोकड़ 174.20

बैंक रोकड़ 15,95,114.69

सावधि जमा तथा

वचत खाता जमा

2,09,675.38

18,04,964.27

नियमित अग्रिम

(इम्प्रेस्ट)

500.00

कुल योग :— 61,03,295.48

कुल योग :— 61,03,295.48

(ii) 31 मार्च, 1981 को समाप्त होनेवाले वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा

व्यय	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्रशासन :						
1 कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता	2,36,610.58		अ) राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदान	23,49,000.00		
2. कर्मचारियों का यात्रा भत्ता	23,693.10		ब) केन्द्र सरकार से प्राप्त अंशदान	23,75,000.00		47,24,000.00
3. कर्मचारियों का चिकित्सा एवं अन्य भत्ते	2,458.51		2. विविध प्राप्तियाँ :			
4. प्रतिष्ठान, प्रशासनिक समिति के सदस्यों का यात्रा भत्ता	32,794.29		1. पुराने समाचार पत्रों की विक्री	459.00		
5. भवन का किराया	31,788.00		2. गैरेज भाड़ा	1,225.00		
6. अन्य भाड़े	48,541.20		3. अन्य	6,081.75		7,765.75
7. अक्काश वेतन तथा पेंशन अंशदान	5,757.00		3. 1. अंशदायी भविष्यनिधि जमा की जन्ती	3,462.00		
8. स्टाफ कार का रखरखाव	13,852.20		2. अतिरिक्त बोनस एवं अंशदायी भविष्यनिधि का व्याज	261.00		3,723.00

अप्राप्त तथा दुर्लभ पुस्तकों
एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों की
प्रक्रिया (सूचीकरण एवं
वर्गीकरण) जिल्द साजी एवं
परिरक्षण हेतु सहायता

नई योजनाएँ :

पुस्तक संचयन हेतु पुस्तकालयों
की सहायता

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं,
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा
पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन
हेतु सहायता

3. प्रतिष्ठान का प्रकाशन ।

प्रकाशन

**4. व्यय से अतिरिक्त आय की
बढ़ोतरी**

रु० पै० रु० पै०

रु० पै० रु० पै०

46,050.00

2,47,648.00

36,400.90

6,197.43

8,24,746.22

47,61,550.88

47,61,580.88

कुल योग :—

कुल योग :—

(iii) 31 मार्च, 1981 तक का तुलन-पत्र

परिसम्पत्तियाँ

देयताएँ

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
1. बकाया देयता :						
पिछले लेखानुसार	5,68,736.82				1,11,152.59	
वर्ष के दौरान निकाली गई राशि घटाये	3,43,787.38				8,692.33	
	<u>2,24,949.44</u>					1,19,844.92
जोड़े : वर्ष के दौरान बकाया देयता	1,49,964.91				72,240.00	72,240.00
			3,74,914.35			
2. सुरक्षा जमा :						
पिछले लेखानुसार	2,635.02				29,111.85	
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि घटाये	561.35					
						29,111.85
3. सम्पत्ति की आँक :						
पिछले लेखानुसार	1,50,963.00				15,000.00	
जोड़ : वर्ष के दौरान	80,932.33		2,073.67		4,500.00	
					100.00	
			2,31,895.33			19,600.00

4. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (कर्मचारी) अंशदायी भविष्यनिधि लेखा			
पिछले लेखानुसार	52,388.70		
इस वर्ष का जोड़	<u>28,608.00</u>		
	80,997.70		
वर्ष के दौरान निकाली गई राशि घटायें		3,765.00	
		<u>77,232.70</u>	
अतिरिक्त भत्ते तथा अंशदायी भविष्यनिधि के ब्याज को घटायें		261.00	
		<u>76,971.70</u>	
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के खाते में जमा राशि घटायें		3,462.00	
		<u>73,509.70</u>	
5. अग्रिम राशियां :			
त्यौहार			
पिछले लेखानुसार	1,180.00		
इस वर्ष का जोड़	<u>3,600.00</u>		
	4,780.00		
इस वर्ष की वापसी घटायें		<u>2,980.00</u>	1,800.00
साईकिल :			
पिछले लेखानुसार		770.00	
इस वर्ष का जोड़		<u>825.00</u>	
		1,595.00	
वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि को घटायें		<u>672.00</u>	1,023.00

परिसम्पत्तियाँ

देयताएं

	रु०	पै०	रु०	पै०	रु०	पै०
5. आय एवं व्यय लेखा :						
पिछले लेखानुसार					2,350.00	
व्यय से अधिक					—	
आमदनी	6,96,571.80				<u>2,350.00</u>	
					2,165.00	185.00
आय-व्यय खातानुसार						
व्यय के अतिरिक्त आय					174.20	
को जोड़ें	8,24,746.22				15,95,114.69	
	<u>15,21,318.02</u>				<u>2,09,675.38</u>	
मूलधन व्यय के कारण						18,04,964.27
शेष राशि	80,932.33					500.00
	<u>14,40,385.69</u>					
7. राजा राममोहन राय						
पुस्तकालय प्रतिष्ठान						
(कर्मचारी) अंशदायी						
भविष्यनिधि का						
अन्तिम शेष					3,530.96	
हाथ रोकड़					<u>69,978.74</u>	
बैंक रोकड़						
(रु० 36,000/- की निवेशित						
राशि को मिलाकर)						73,509.70

कुल योग : 21,22,778.74

ह० एस० बसु
लेखाकार
30-6-1981

ह० एस० के० बसु
कार्यकारी अधिकारी
1-7-1981

कुल योग : 21,22,778.74


ह० बी० पी० बरुआ
सदस्य-सचिव
1-7-1981

लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के 1980-81 के उपर्युक्त लेखे और तलन-पत्र की जाँच की है और मैंने अपेक्षित जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अधीन मैं अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे स्पष्टीकरण कर दिया गया है, उसके अनुसार राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की बहियों के लेखे सही ढंग से तैयार किये गये हैं, ताकि यह प्रतिष्ठान के कार्यों का सच्चा और सही विवरण प्रस्तुत कर सकें।

ह० ए० के० देव
निदेशक केन्द्रीय लेखा
परीक्षा निदेशालय
कलकत्ता

वर्ष 1980-81 की व्यय-तालिका



1. Assistance to centrally sponsored Libraries and to State Central Libraries and District Libraries through Central Selection. (10.06%).



2. Assistance towards (i) Binding and Preservation (1.09%), (ii) Mobile Library Service (0.07%), (iii) Seminar, Workshop etc. (0.88%).




3. Assistance towards Storage of Books (5.86%).



4. Expenditure for publication including capital items (2.06%).




5. Assistance to Dist./Sub-Divn./Taluk/Area/Town/Rural Libraries under matching assistance (69.92%).



6. Administrative expenditure (10.06%).

वर्ष 1972-73 से 1980-81 के दौरान दी गई सहायता राशि एवं सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की तालिका :



वर्ष 1972-73 से 1980-81 के दौरान राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाओं में शाब्दिक विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण :

क्रम संख्या	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	पुस्तकालय	अनुसूचित जाति/प्रबन्ध/तांत्रिक क्षेत्रीय/ग्रामीण पुस्तकालय	स्वच्छिक संघों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय	व्यक्तिगत पुस्तकालय/पुस्तक संचयन केन्द्र	पुस्तक संचयन हेतु सहायता	परिषद्/संघ/संस्थान/पुस्तकालय	पुस्तकालय	नैतिक/वैयक्तिक केन्द्र	वाचन संचयन/वाचन केन्द्र	राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आन्ध्र प्रदेश	1	30	848	4	619	—	24	14	1	—	1541	
2	आसाम	1	19	61	9	—	—	5	4	3	—	102	
3	बिहार	1	31	931	2	—	—	18	9	—	—	992	
4	गुजरात	1	18	604	—	11	—	11	5	1	—	651	
5	हरियाणा	1	6	43	—	—	—	1	1	6	—	58	
6	हिमाचल प्रदेश	1	14	36	5	—	47	1	5	1	—	107	
7	जम्मू एवं कश्मीर	1	19	—	2	—	—	3	1	1	—	27	
8	कर्नाटक	1	19	1896	8	—	—	5	8	1	—	1938	
9	केरल	1	11	1072	15	75	320	46	5	4	—	1549	
10	मध्य प्रदेश	1	49	—	4	—	—	9	11	2	—	76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	महाराष्ट्र	1	26	1237	—	1	—	3	2	7	—	1277
12	मेघालय	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4
13	मणिपुर	1	5	26	18	—	—	1	2	—	—	53
14	नागालैण्ड	1	—	23	—	—	—	—	—	—	—	24
15	उड़ीसा	1	14	441	8	—	130	32	7	2	116	751
16	पंजाब	1	6	—	—	—	—	—	5	—	—	12
17	राजस्थान	1	29	9	13	—	—	13	12	—	—	77
18	सिक्किम	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	6
19	तमिलनाडु	—	13	1455	—	—	—	7	8	3	—	1486
20	त्रिपुरा	1	13	18	—	10	—	—	2	—	—	44
21	उत्तर प्रदेश	1	56	562	8	125	—	26	28	1	—	807
22	पश्चिम बंगाल	1	21	1950	—	107	5	114	8	6	—	2212
23	अण्डमन एवं निकोबार	1	—	25	3	—	—	—	1	—	—	30
24	अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	—	—	—	—	1	—	—	26
25	चण्डीगढ़	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3
26	दादरानगर हवेली	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3
27	दिल्ली	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	5
28	गोवा, दमन दीव	1	—	46	—	—	—	1	1	—	—	49
29	लक्षद्वीप	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10
30	मिजोरम	1	2	20	—	—	—	—	1	—	—	24
31	पाण्डिचेरी	1	—	48	—	—	—	—	2	1	—	53
कुलयोग		27	411	11380	100	948	502	321	149	43	116	13997

* इन योजनाओं के अन्तर्गत के अधिकांश पुस्तकालयों को पुस्तक सहायता भी प्रदान की गई।